खण्ड-243, अंक-5
बुधवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(11 दिसम्बर, 1963 ई0)

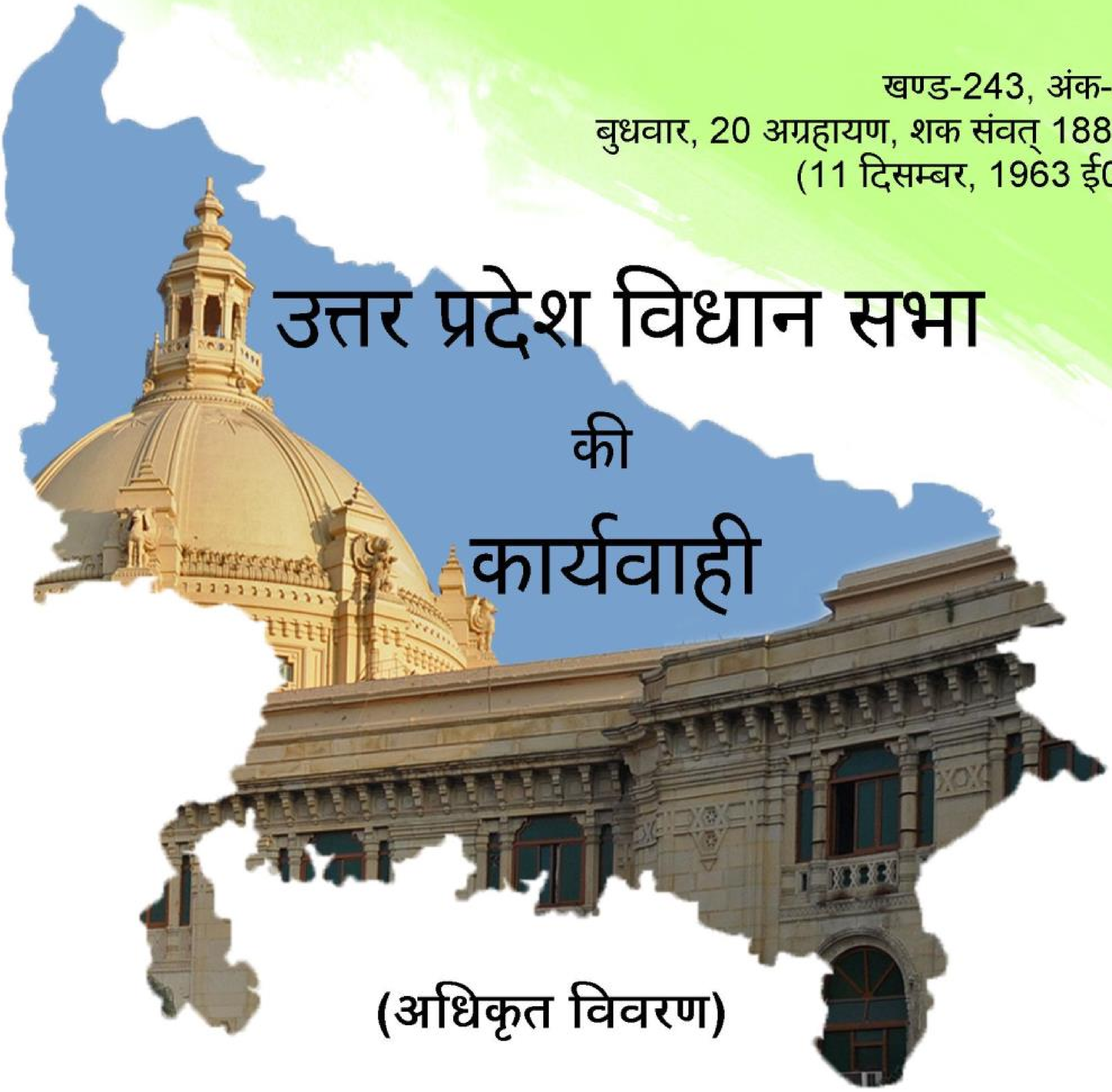

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

देवरिया जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण पाठशाला के लिए छात्रों का चयन

*२—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में संचालित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण पाठशाला के छात्रों के चयन में भारी गड़बड़ी एवं अनियमितता की सूचना प्रश्नकर्ता ने ३० अगस्त, १९६३ को उसे दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस चयन को रद्द कर नये सिरे से चयन करायेगी और प्रशिक्षार्थियों की संख्या जो वर्तमान है, उसकी चौगुनी बढ़ायेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक ३० अगस्त, १९६३ को विभाग में प्राप्त नहीं हुआ परन्तु छात्रों के चयन में कोई अनियमितता नहीं हुई। इस कारण चयन को रद्द करना न्याय संगत नहीं होगा। प्रशिक्षार्थियों की संख्या को चौगुनी करना इस समय संभव नहीं है।

*३—श्री चन्द्रबली सिंह (अनुपस्थित)—

क्या चयन हुये एवं चयन हेतु दरख्वास्त दिये उम्मीदवारों की सूची की प्रतिलिपि शिक्षा योग्यता एवं डिवीजन के सहित सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

चयन हुये एवं चयन हेतु दरख्वास्त दिये उम्मेदवारों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

शाहजहांपुर जिले में आबकारी ठेकेदारों पर बिक्री-कर का बकाया

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में जनवरी, १९५२ से जून, १९६३ तक आबकारी के ठेकेदारों पर कितना बिक्री-कर बकाया है और उन ठेकेदारों की जमानत किसने-किसने की है ?

श्री जयराम वर्मा—

शाहजहांपुर जिले में आबकारी के ठेकेदारों पर जनवरी, १९५२ से जून, १९६३ तक ९६,६०५ रुपये ९० न० पै० की बिक्री-कर की धनराशि बाकी है। उपरोक्त ठेकेदारों में से केवल एक ठेकेदार श्री मूलचन्द्र प्यारे लाल की जमानत सर्वश्री (१) राम लाल तथा (२) हजारा सिंह ने ७०० रुपये की वसूली न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री-कर द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में की है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

इतनी बड़ी रकम १० वर्ष से क्यों वसूल नहीं की गई ?

श्री जयराम वर्मा—

वसूल करना माल विभाग का काम है। उनको बार-बार लिखा जा रहा है। कुछ लोग दे नहीं रहे हैं, कुछ का पता भी नहीं है, वे भाग गये हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'† (जिला शाहजहांपुर)—

बक़ायदारों के नाम और हैसियत क्या हैं ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री जयराम वर्मा---

बक़ायादारों की सूची मेरे पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

क्या आबकारी के ठेके उन लोगों के पास अब भी हैं ?

श्री जयराम वर्मा---

इसकी सूचना वित्त विभाग के पास नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

यह बड़ी इम्पार्टेन्ट बात है ।

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में इनसे वसूली का कोई उपाय अपनाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

जो ज्यादा इफ़ैक्टिव हो ?

श्री जयराम वर्मा---

वसूली को इफ़ैक्टिव करने के लिये यह सारी जिम्मेदारी बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दी गई है और बराबर कोशिश हो रही है कि जितनी मुनासिब कार्यवाही हो सकती हो वह करें ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

क्या मैं जान सकता हूं कि बकायादारों के लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, क्या सरकार ने यह कोशिश की ?

श्री जयराम वर्मा---

वित्त विभाग तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर नहीं सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि बकायादारों को आगे ठेका न दिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा---

इस बात को सोचा जा सकता है ।

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

क्या मंत्री जी किसी दूसरे दिन बताने की कृपा करेंगे कि बकायादारों के नाम और हैसियत क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि नोटिस की आवश्यकता है । इस समय सूची नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा---

२, ४ दिन बाद दफ्तर में आ जावें तो मैं बतला दूंगा ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

सरकार दूसरे करों के बक़ायादारों की तरह बिक्री-कर के बक़ायादारों को भी जेल क्यों नहीं भेजती है ?

श्री जयराम वर्मा--

कुर्क्रासिव मेंजर्स भी लिये जाते हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी होते हैं ।

श्री बेदराम (जिला एटा)--

जैसे किसानों से उनके बैल, बधिया, जायदाद और जमीन बेच कर वसूल कर लिया जाता है वैसे ही बिक्री-कर वालों से वसूल करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--

सख्ती उनके साथ भी की जाती है ।

[११ दिसम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के जिन्दा अजायब घर में कुप्रबन्ध

*१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ में प्रिंस आफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन्स को तरक्की देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी नहीं । क्योंकि इस संस्था को चैरिटेबिल इन्डाउमेन्ट के अधीन एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है । यह संस्था किसी विकास योजना के अन्तर्गत नहीं लाई जा सकती ।

*२--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जू में जो जानवर या परिन्दे मर जाते हैं क्या उनकी कमी को पूरा करने के लिये उसी किस्म के नये जानवर या परिन्दे जू में ला कर रखने की व्यवस्था की जाती है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यथा सम्भव लखनऊ जू में जो जानवर या परिन्दे मर जाते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिये उसी किस्म के देशी नये जानवरों या परिन्दों की व्यवस्था की जाती है परन्तु विदेशी जानवरों या परिन्दों के लिये कठिनाइयां होती हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार बहुत-सी गैर सरकारी संस्थाओं की मदद करती है और उनकी उन्नति पर भी ध्यान देती है तो प्रिंस आफ वेल्स जुलोजीकल गार्डेन्स की उन्नति पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया जब कि इसकी बहुत बड़ी ऐजूकेशनल वैल्यू भी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सरकार इसे बराबर सहायता दे रही है । १,१४,००० रुपया साल इसे दिया जाता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

सरकार ने एक बार वायदा किया था कि इसका टिकट माफ करेंगे, तो क्या सरकार के पास इसकी उन्नति के लिये कोई क्रम-बद्ध योजना नहीं है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां १,१४,००० रु० सरकार देती है वहां लगभग १ लाख इसके टिकट, सर्पेन्टेरियम और ज्वाय-राइड इत्यादि से भी आता है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

आज अखबार में आया है कि जानवरों के सामने की तख्तियां भी गायब हैं और उजड़ा हुआ है । क्या सरकार के पास ऐसा कोई उपाय है कि वह यह जान सके कि सारी रकम जो वह देती है ठीक से खर्च की जाती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वैसे तो उन जानवरों को मंगाने में जो मर गये हैं दिक्कत जरूर है । देशी जानवरों को रिप्लेस बराबर किया जाता है । आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं । ऐसी बात नहीं है कि वह उजाड़ की हैसियत में है । लेकिन विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण बाहरी जानवरों के मंगाने में दिक्कत है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

सरकार ने अनुदान इस वायदे पर दिया था कि वहां टैक्स नहीं लगेगा । सरकार के इतना रुपया देने पर भी असंतोष है, तो क्या सरकार इसे अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करेगी जिससे रुपये का सदुपयोग हो और वह ठीक से चले ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस शर्त पर रुपया नहीं दिया गया है कि उसे फ्री कर दिया जाय । इसका सेक्रेटरी एक्स-आफीशियो है, डाइरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

जब इस संस्था का खर्चा सरकारी रुपये से और वहां के टिकट से चलता है तो सरकार ने इसे ट्रस्ट के पास क्यों छोड़ा हुआ है जो खर्चे का भार वहन नहीं करता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह तो आटोनामस बाडी है, एक चैरेटिबिल ट्रस्ट के रूप में है । इसे इस प्रकार से ले लेना उचित न होगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आज इस गार्डेन को देखने के लिये तीन-तीन जगह टिकट लेना पड़ता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह टिकट लेना पड़े ?

श्री अध्यक्ष—

अगर एक जगह लेंगे तो बढ़ा देंगे ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिछले एक साल में कोई नये जानवर जू में लाये गये हैं या नहीं तथा क्या-क्या योजनायें उसकी तरक्की के लिये बनायी गयी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

योजनायें तो ट्रस्ट हर साल बनाता है कि किस प्रकार से उसको तरक्की दी जाय और कौन-कौन से नये जानवर मंगाये जायं ।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ व जिला अस्पताल, रायबरेली में अस्थायी स्टाफ नर्सें

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में व जिला अस्पताल, रायबरेली में ऐसी कितनी स्टाफ नर्सें हैं जिनका दो साल प्रोबेशन काल समाप्त हो चुका है पर उनको अभी तक कनफर्म नहीं किया गया है ? इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में एक और जिला अस्पताल, रायबरेली में भी केवल एक ऐसी स्टाफ नर्स हैं। इन स्टाफ नर्सों से इनके कन्फर्मेशन के सम्बन्ध में आवश्यक सब प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

अस्पतालों में नर्सों की ड्यूटी

**४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में काम करने वाली दाइयों, वार्ड ब्वाय तथा मेहतरों के डे ड्यूटी तथा नाइट ड्यूटी में काम करने के अलग-अलग क्या घंटे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

दिन में ८ घंटे और रात में १२ घंटे।

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, सदर तथा महिला अस्पतालों में कार्य करने वाली कितनी विद्यार्थी दाइयों तथा स्टाफ नर्सेज को टी० बी० की बीमारी हो गई है, उनके नाम क्या हैं तथा ऐसा होने का क्या कारण है ? क्या यह बीमारी नौकरी में आने के पहले हुई या बाद में ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस समय गोरखपुर सदर तथा महिला अस्पतालों में कार्य करने वाली किसी विद्यार्थी नर्स, दाई अथवा स्टाफ नर्स को टी० बी० की बीमारी नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जब सरकार का नियम ८ घंटे की ड्यूटी का है तो रात्रि को जो ४ घंटे अधिक ड्यूटी ली जाती है क्या उसका उनको कोई एकस्ट्रा एलाउन्स दिया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार एक्स्ट्रा एलाउन्स देने पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह ड्यूटी बराबर एक एक महीने बाद बदलती रहती है और रात वाली ड्यूटी दिन वाली ड्यूटी से हल्की होती है।

श्री अध्यक्ष--

क्या स्वास्थ्य मंत्री रात की ड्यूटी के १२ घंटे दिन की ड्यूटी के ८ घंटे के बराबर ही समझते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

दिन के आठ घंटे वाली ड्यूटी दो क्रमों में चलती है और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है । रात की ड्यूटी हलकी होती है और उसको सब चाहती हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पूरे एक महीने तक रात के १२ घंटे की ड्यूटी करने से नर्सेज की हेल्थ खराब हो जाती है ? क्या सरकार ड्यूटी के घंटे अथवा एक महीने का समय कम करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो अस्पताल पर निर्भर है, अगर आवश्यकता समझी जाती है तो उन को इस तरह से ड्यूटी दी जाती है लेकिन नर्सेज स्वयं पसन्द करती हैं कि एक बार उनकी दिन की ड्यूटी लगे और दूसरी बार रात की लगाई जाय ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि क्या यह ठीक है या नहीं कि एक मास लगातार ड्यूटी देने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ? यदि वह पड़ता है तो ऐसे नियम में परिवर्तन करने की आप आवश्यकता समझते हैं या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि नर्सेज को काफी परिश्रम पड़ता है और उनको नियत घंटों के अलावा अधिक काम करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखकर वह और नर्सेज को एम्प्लाय करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हम तो बराबर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नर्सेज आयें बल्कि वह आज पूरी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि जब यह सरकारी कानून है कि सरकारी धन्धों में या संस्थानों में ८ घंटे से अधिक काम किसी से नहीं लिया जायगा जब तक कि कोई विशेष बात न हो जैसे कि रोडवेज के ड्राइवर का मामला है तो इस विभाग में इतने दिन से १२ घंटे जो काम लिया जा रहा है इसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

आवश्यकता के कारण मरीजों को सुविधा दी जाती है ।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह मरीजों की सुविधा के लिये बहराइच से कुछ नर्सेज बलिया में भेजेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

मेल नर्सेज हैं वह भेज देंगे । (हंसी)

गल्ला गोदाम योजना, आजमगढ़ व गोरखपुर कोआपरेटिव फेडरेशन में गबन तथा साधन सहकारी समितियां

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के अनुदान से गल्ला गोदाम खोलने की योजना बनाई गई है ?

श्री बनारसीदास---

जी हां ।

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ एवं गोरखपुर जिला कोआपरेटिव फेडरेशन में हुये लाखों के गबन के सम्बन्ध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री बनारसीदास---

जी हां । कार्यवाही की गई है ।

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी साधन सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं और चालू हैं ?

श्री बनारसीदास---

प्रदेश में २२,३१४ साधन सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं और वे कार्य कर रही हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कब और कितने-कितने अनुदान गल्ला गोदामों के लिये मिले हैं और उनका निर्माण कहां-कहां किया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,३०० रूरल गोदाम बनाने की योजना की गई है और १९६१-६२ में १३२ रूरल गोदाम बनने थे और १९६२-६३ में २६६ बनने थे, इस तरह से ३९८ बनने थे । हर गोदाम के लिये १२,५०० रुपया दिया जाता है जिसमें से २५ प्रतिशत तो अनुदान होता है और ७५ प्रतिशत ऋण की शक्ल में दिया जाता है । जहां-जहां बनाये गये हैं वह एक लम्बी लिस्ट है, सब जिलों में वे बने हैं । इधर एमर्जेन्सी की वजह से ज्यादा इमारतें नहीं बन सकीं, केवल ४९ जगहों में निर्माण हो सका है और बाकी जगहों में अभी हो रहा है । लिस्ट जरा लम्बी है । बाकी हर जिलों में व्यवस्था की गई है, उनकी संख्या तो ४०० के करीब होती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने-कितने रुपये का गबन था, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री जे०पी० मिश्र--

धमकाने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान) इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है । (व्यवधान)

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल पेश....

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, झूठी फायर करने वाली तोपों पर आपने डी०आई० आर० में लाइसेंस लगाया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि समाजवाद के नारे लगाने वाले मिश्र जी और उनकी पार्टी के लोगों से जो बातें आज अभी सुनने को मिली उनसे दो बातें निश्चित हो गईं कि न तो यह समाजवाद की रूपरेखा तैयार करता है और न मदद ही देता है । दूसरी बात यह है कि जो गोली की बात कही जा रही है वह समाजवाद का लक्ष्य नहीं है और न उसका साधन ही हो सकती है और न उसका उपाय ही हो सकती है । यह तो सीधा सादा कम्युनिज्म का रास्ता और वह भी चीन वाला है, रूस वाला नहीं है । वह खूनी क्रांति के रास्ते को अपनाने जा रहे हैं और उसकी धमकी दी जा रही है । इसलिये प्रदेश में यह समाजवाद लाने से दूर रहें ।

शकर की कमी को दूर करने के लिये जो उपाय सरकार करने जा रही है उन की एक कड़ी के रूप में यह विधेयक प्रस्तुत कर रही है । इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि हमें देश में अधिक से अधिक शकर उत्पन्न करना है और जो १५ लाख टन का कोटा हमें दिया गया है उसको हमें पूरा करने का प्रयास करना है और विदेशी मुद्रा कमाना है । लेकिन जो तरीके अपनाये जा रहे हैं उनमें न तो इस बिल के लाने से और न डी०आई०आर० की दफाओं के लागू करने से चीनी उत्पन्न हो सकेगी । इसकी कमी को दूर करने के लिये मैं एक सुझाव देता हूं कि मिलें पुरानी मशीनों के द्वारा ही पिराई करती चली जा रही हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जहां मिल को २० हजार मन गन्ने की पिराई करनी चाहिये वहां मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी मुश्किल से १४,१२ या १० हजार मन होती है । सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है । डी०आई०आर० में किसानों पर पाबन्दी है कि वह मिलों को गन्ना दें, लेकिन इस बात की कोई पाबन्दी नहीं है कि मिलों को कितना गन्ना रोज पेरना होगा । मैं अपने यहां की सोसाइटी का मेम्बर हूं । मैंने देखा है कि वहां मिल का इंडेंट कभी १० हजार मन, कभी ६ हजार मन और कभी १२ हजार मन का आता है और उसके अनुसार ही सोसाइटी गन्ना देती है और पर्चियां काटी जाती हैं । ऐसी सूरत में अगर आप चाहेंगे कि शकर की कमी दूर हो तो कभी नहीं हो सकती है ।

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिये कौन-कौन कदम उठाये हैं, उनसे अवगत कराया जाय ?

दूसरी बात यह है कि जो गन्ना असाइंड या रिवर्ज एरिया के अन्दर है जिसने कभी गन्ना नहीं डाला या डाल रहा है उन दोनों की बात मैं कर रहा हूं । रिजर्व एरिया के अन्दर जिसने गन्ना नहीं डाला, अगर आज देश के लिए जरूरत है तो उससे भी कहा जा सकता है वह गन्ना डाले, लेकिन उसके लाने के लिए और तौलने के सुचारु साधन होने चाहिए । सरकार ने इन साधनों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि जिस गाड़ी में उसे तीस-चालीस मन गन्ना लाना चाहिए नदियों की वजह से, रास्ते की खराबी की वजह से ८-९ मील चल कर बहुत थोड़ा गन्ना ला पाता है। इस तरह से चीनी बनाने का टार्गेट भी कम होता है। आज जब काश्तकार अपना गन्ना तौल पर लाता है तो उसमें धांधली होती है। उसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। बड़े बड़े आनरेरी इंस्पेक्टर्स और अवैतनिक इंस्पेक्टर्स नियुक्त हैं उन कांटों पर जाकर चेकिंग करने के लिए जहां पर अंडरवेमेंट किया जाता है लेकिन साल भर के अन्दर जो केसेज पकड़े जाते हैं उनकी संख्या १०-५ से ज्यादा नहीं होती। वास्तव में काश्तकार ४० मन लेकर चलता है और जब वह तौला जाता है तो ३५ मन ही होता है। उसकी चीनी मिल मालिक बना कर एक्साइज ड्यूटी बचा कर ब्लैक मार्केट में बेच लेते हैं। इस तरह से चीनी के टार्गेट में भी कमी होती है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर भी बहुत सी इनकंसिस्टेंसीज हैं। पहली बात यह है कि जहां हमने मिलों में जहां गन्ना पेरा जाता है उस पर तो कोई कर की बढ़ोत्तरी की नहीं है, लेकिन खांडसारी और गुड़ की इकाइयों पर ३२ पैसे प्रति क्विंटल जो दो आने मन पड़ता है, वह बढ़ाकर कर दिया है। यह समाजवादी नारे के खिलाफ है। समाजवाद का नारा यह है कि छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाय बड़ी इकाइयों को न दिया जाय। सरकार ने इसमें धारा ४ रख दी है इसमें (३-ख) है जिसमें लिखा हुआ है—"किसी ऐसे गन्ने के संबंध में किसी इकाई को नया लाइसेंस नहीं दिया जायगा और न उसका नवीनीकरण किया जायगा, और जब ऐसा निर्देश जारी कर दिया जाय तो उस क्षेत्र के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा।" यह बिलकुल इनकंसिस्टेंट है जो पहले से क्रशर्स चल रहे हैं उन पर यह कुठाराघात है। यहां नवीनीकरण का अधिकार छीन लिया गया है। धारा ८ में डी०आइ आर० का मूर्त रूप देखने को मिलता है। उसके अन्तर्गत फैक्टरी या क्रशर या इकाइयों में प्रयुक्त होने वाले सामान को बन्द कर सकते हैं, सामान जब्त कर सकते हैं। इस तरह डी० आई० आर० का मूर्त रूप इस धारा में देखने को मिलता है। मैं और जनसंघ यह कहना चाहता है कि जो यह बिल आया है इसको अविलम्ब वापस लिया जाना चाहिए। प्रवर समिति में सुपुर्द करने से काम नहीं चलेगा। इसको वापस लेना चाहिए हमारी यह जबरदस्त मांग है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट भाषा में दिया हुआ है कि इस बिल का उद्देश्य कोई वित्तीय उद्देश्य नहीं है। इस बिल की मंशा है कि हर शुगर मिल के चारों तरफ लगभग सवा तीन सौ स्क्वायर मील के रकबे में जितनी शुगर यूनिट्स स्थापित हैं उन पर इस प्रकार की वित्तीय असुविधायें पैदा की जायं, इस प्रकार की अड़चनें पैदा की जायं ताकि उनका चलना अव्यावहारिक हो जाय और अलाभकर हो जाय। श्रीमन् अब तक इस उद्देश्य की पूर्ति शुगर केन कंट्रोल आर्डर इत्यादि से की जाती रही है। अब श्रीगणेश हो गया है लेजिस्लेशन का। आज एक बिल हमारे सामने है दूसरे बिल की कापी बांट चुकी है। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार की यह नीति कोई शार्ट टर्म नीति नहीं है। कोई ऐसी नीति नहीं है कि इस वर्ष ही सरकार की यह मंशा हो कि मिलों के चारों तरफ जितनी भी यह काटेज इंडस्ट्रीज की इकाइयां स्थापित हो गई हैं वह काम कम करें या न करें बल्कि सरकार की नीति इन लेजिस्लेशन्स से यह स्पष्ट जाहिर होती है कि सरकार की लांग टर्म नीति यह है कि हर मिल के चारों तरफ तीन, साढ़े तीन सौ स्क्वायर मील का रकबा गन्ने की काश्त का सुरक्षित कर दिया जाय, उसकी एक मोनोपली गन्ने की खरीद के लिये स्थापित कर दी जाय। श्रीमन्, बेसिस इस पालिसी की बहुत ही पवित्र बताई जाती है कि फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज चीनी की कमी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव ऊंचे हैं और यदि हम अधिक चीनी का उत्पादन कर लें तो फारेन एक्सचेंज जिसकी आवश्यकता हमको तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये और चौथी पंचवर्षीय योजना के ऐडवांस प्रोजेक्ट्स के लिये आज है

[श्री शिवराज सिंह

और फौजी जरूरियात के लिये है, वह फारेन एक्सचेंज हम कमा सकते हैं। बात बड़ी सही और मुनासिब है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि उनके पास कौन से तर्क या कौन-सी ऐसी मालूमात हैं कि जिनकी बिना पर वह कह सकती है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज जो चीनी के भाव के ट्रेंड हैं वह इसी प्रकार से फेवरेबिल रहेंगे और स्टेबिल रहेंगे ? मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि मुझे याद है दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिरी दो साल में इसी सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके कि मैं और माननीय गेंदासिंह जी भी सदस्य थे। उस कमेटी के सामने सवाल यह था कि चीनी मिलों में चीनी अधिक इकट्ठा हो गई है इतना गन्ना पैदा हो गया है कि उसको कैसे खपाया जाय और उस समय ऐसी नीति बरती गई कि यह शुगर युनिट्स जो हैं जिनको कि आज बन्द करना चाहते हैं उनको उस समय तरह-तरह के प्रोत्साहन देकर स्थापित किया गया। मैं कल्पना करता हूं उस अवस्था की। कल को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अगर चीनी बाजार के ट्रेंड्स इस प्रकार के हो गये कि हमारी चीनी बाहर न जा सकी तो आज जो गन्ना हम चीनी मिलों के लिए रिजर्व कर रहे हैं उसका क्या हाल होगा ? किसी चीज को बिगाड़ना आसान है, स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमें यह सोचना है कि जहां हम चीनी मिलों के लिये अधिक से अधिक गन्ने का प्रबन्ध करें वहां अपना यह दरवाजा भी बन्द न कर दें ताकि कल को अगर गन्ने की खपत करने के लिये किसी दूसरे आल्टरनेटिव की जरूरत पड़े तो हमको कोई नाउम्मेदी या मायूसी का मुंह न देखना पड़े।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर पर कैपिटा शुगर कन्जम्पशन क्या है ? केवल ५ यूनिट जबकि आस्ट्रेलिया में ५५ यूनिटें हैं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां शुगर फूड स्टफ ज्यादा पैदा करने की आवश्यकता है। मिलों की ऐवरेज रिकवरी यू० पी० की ९.५ परसेंट है और गुड़ और खांडसारी का ७ परसेंट है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि ४ परसेंट मोलेसेज गुड़ और खांडसारी में मिलता है तो इस प्रकार से जो गन्ना गुड़ और खांडसारी के काम आता है उससे ११ परसेंट मीठा फूड स्टफ प्रदेश की जनता को मिलता है, जबकि चीनी मिलों में जो गन्ना जाता है उससे केवल ९.५ परसेंट ही मिलता है। १.५ परसेंट स्टफ इस तरह गुड़ और खांडसारी में ज्यादा मिलता है। इस १.५ का ९.५ के ऊपर परसेंटेज निकालें तो १६ परसेंट आता है। मैं फिर दोहराता हूं कि जो गन्ना गुड़ और खांडसारी में काम आता है उसमें १६ परसेंट ज्यादा मीठा फूड स्टफ प्रदेश की जनता के इस्तेमाल के लिये प्राप्त होता है बनिस्बत उस गन्ने के मीठा फूड स्टफ जो चीनी मिलों में जाता है।

इतना ही नहीं बल्कि यह ९.५ रिकवरी मैंने अच्छे मौसम की बतलाई। मई और जून के महीने में जब कि सरकार का इरादा इन मिलों को चलाने का है, उस जमाने में रिकवरी के आंकड़े उपलब्ध हैं। मई के महीने में यह आंकड़े ७.५ और ७.० पर आ जाते हैं। इस प्रकार से श्रीमन्, देखा जाय तो उन महीनों में गुड़ और खांडसारी में १५० परसेन्ट मीठा फूड स्टफ प्राप्त हो सकता है। अगर वह गन्ना जिसको आप मई और जून में मिलें पेरना चाहती हैं उसको हम जनवरी और फरवरी में इन गुड़ और खांडसारी यूनिटों को देने की बात करें तो उससे कहीं अधिक मीठा फूड स्टफ प्राप्त हो सकता है। मैं भानुप्रताप सिंह जी को बधाई देता हूं उन्होंने एक बहुत अहम बात बतलाई थी और एक खास बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि आज जो पैसा चीनी कन्ज्यूमर देता है उसके प्राफिट में आप किस प्रकार से हिस्सेदार बनाते हैं। हमारे प्रदेश में आज लगभग ४४० मन गन्ना एक एकड़ औसत पैदा होता है। उससे लगभग १० मन चीनी पैदा होती है। उस चीनी पर सरकार ५२० रुपया सेस वसूल करती है। मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार ५२० रुपया सेस वसूल करे और काश्तकार एक एकड़ से २०० रुपया गेन करता है तो यह कहां का आर्थिक न्याय है ? मैं चाहता हूं सरकार अपने इस मुनाफे में से कुछ हिस्सा काश्तकारों को अवश्य दे और गन्ने का दाम बढ़ाये।

अब सवाल आता है गन्ने के डेवलपमेन्ट का। प्रदेश में गन्ने के डेवलपमेन्ट पर सरकार २ रुपया ५० नये पैसे प्रति एकड़ आज खर्च करती है और सरकार को हमारे प्रदेश में प्रति एकड़ गन्ने की काश्त से प्रति एकड़ ५२० रुपया प्राप्त होता है सेस के रूप में। सरकार को मिलता है इतना और केवल २॥ रुपया प्रति एकड़ गन्ने के डेवलपमेन्ट पर खर्च किया जाता है। इस तरह से यह काम चलने वाला नहीं है। चीनी फैक्टरीज में नहीं खेतों में पैदा होती है। अगर हमको चीनी की पैदावार बढ़ाना है और एक बफर स्टाक कायम करना है और हमको इसे एक्सपोर्ट करना है तो हमको गन्ने के डेवलपमेन्ट पर ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा उसकी मार्केटिंग के ऊपर कि मार्केटिंग इसकी किस प्रकार से की जाय। गन्ने की मार्केटिंग के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आजकल जो गन्ना खरीदा जा रहा है या इसके पहले नवम्बर में जो गन्ना पेरा गया है उसमें कुछ भाग क्या कच्चा नहीं पेरा गया है? इस प्रकार जो कच्चा गन्ना पेरा गया है उससे कम चीनी प्राप्त हुई है और यह गन्ना अगर जनवरी और फरवरी में पेरा जाता तो इससे ज्यादा चीनी प्राप्त होती। मिड, लेट और अरली वैराइटी प्रदेश में बोई जाती है, लेकिन आज जो मार्केटिंग होती है देहात में उस समय वैराइटी पर कोई ध्यान, नहीं दिया जाता है। जल्दी काटने से पेड़ी भी खराब हो जाती है। इसका असर उत्पादन पर पड़ता है। श्रीमन्, यह सोचना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य चीनी बनाने का पूरा हो जाय और साथ ही गन्ने पर खराब असर न पड़े। मुझे आशंका है कि आपके इस डी० आई० आर० के तहत (Control orders) का असर गन्ने की काश्त पर खराब पड़ेगा, क्योंकि उसके जरिये से आप (Nurseries) के गन्ने की (supply) को भी करने जा रहे हैं। इसके ऊपर आपकी इस नीति का भारी असर पड़ेगा। गन्ने की दो प्रकार की खेती होती है। एक रेटून और दूसरा प्लान्ट। हमारा काश्तकार अच्छे किस्म का गन्ना बोता है (Nursery) में और उससे उत्पादन भी अच्छा होता है, लेकिन जिस तरह से आप यह कंट्रोल लगा रहे हैं उससे गन्ने की किस्म ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रह सकती। यह जो शुगर केन कंट्रोल आर्डर सरकार ने जारी किया है, क्या इसके अन्तर्गत सरकार ने (Nurseries) के साथ कोई एक्सेप्शन किया है? आज यह शुगर केन कंट्रोल आर्डर सब के ऊपर जारी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अच्छा बीज आज काश्तकार बोते हैं वह भी इस आर्डर के अन्तर्गत आता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात से जागरुक रहे कि किसी प्रकार से वह गन्ने का अच्छा बीज मिलों में न पेरा जावे। हमारे विशेषज्ञों ने इस बात को बतलाया है गन्ने की प्लान्ट जो आजकल काटी जा रही है और नवम्बर में काटी गई है आपके डी० आई० आर० के मातहत तो आगे अगले वर्ष के लिये रेटून खराब हो जायगा। इसी प्रकार, प्लान्ट जो नवम्बर-दिसम्बर में काटा गया है वह भी सब मैच्योर नहीं होता।

श्रीमन्, इस प्रकार मुझे शंका है कि अगले वर्ष १९६४–६५ में हमारा रेटून खराब न हो जाय। हमारा प्लान्ट खराब होने की मुझे शंका है और अगर यह खराब हो गया तो जब गन्ना ही पैदा नहीं होगा तो फिर डी० आई०आर० की तहत में आप कहां से मिलों के लिये गन्ना उपलब्ध करा पायेंगे? इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि वहां पूर्णरूप से इन तमाम समस्याओं पर विचार किया जा सके और अच्छा तो यह है कि इन सारे बिलों और नीतियों के संबंध में सरकार एक समुचित बिल लाये जिसमें सरकार का स्टेटमेन्ट पालिसी के बारे में होना चाहिये। इस प्रकार की नीति जो चल रही है, अपनाने से न तो किसानों का ही हित होगा और न इससे शुगर इंडस्ट्रीज का हित होने वाला है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक प्रस्तुत है उस पर सदन में इधर और उधर से, सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और उनकी भावनायें सुनने के बाद आज हर कोई यह

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

बात साफ तरीके से समझ सकता है कि जनता की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली यह सरकार और यह सदन इस मसले में एक मत का है कि इस बिल को वापस होना चाहिये और अगर यह सरकार सही तरीके से जनतंत्र में आस्था रखती है तो उसे मानना होगा कि कानून में आस्था जनतंत्र में आस्था है क्योंकि (law is nothing but the will of the people expressed in terms of law) कानून वह है जो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे। वह कानून कानून नहीं है जो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं श्रीमन् ऐसा समझता हूं कि यह कानून आज जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इसलिये इस सदन के लिये यह आवश्यक है कि वह इस पर बहस न होने दे और इस पर विवाद में समय नष्ट न करे।

श्रीमन्, जब हम यह कहते हैं तो हमारे सामने एक भंयकर परिस्थिति आती है। अगर आप इंडियन शुगर मैनुअल, १९६२ को देखें जो सरकार के ही प्रतिनिधियों ने लिखी है, तो उसके पेज १७५ पर पायेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश सारे देश की ८० प्रतिशत खांडसारी पैदा करता है। बाकी २० प्रतिशत में सारे प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र आदि हैं। आज अगर पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाय तो २० गुना ज्यादा लेबर हमारा इन गुड़ खाडसारी आदि यूनिटों में काम करता है और इन परिस्थितियों में अगर इस प्रकार का विधेयक लाने की बात कही जाती है कि १० मील के अंदर एक नियंत्रण किया जायगा और वहां पर जो गुड़, खांडसारी आदि के यूनिट्स होंगे उन पर १६ नये पैसे से बढ़ा कर ३२ नये पैसे प्रति क्विन्टल पर्चेज टैक्स कर दिया जायगा तो मैं साफ तौर से और अदब से कहना चाहूंगा कि यह इस प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय होगा। इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि इस बिल को लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश के गुड़ और खांडसारी एसोसियेशन ने ऐसा करने के लिये सरकार को प्रेरित किया। मैं आंकड़ों के साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जरा उस गुड़ और खांडसारी एसोसियेशन के रेप्रेजेन्टेशन को पढ़ा जाय। उसका ध्यान इस परिस्थिति की ओर जरा भी नहीं था। यह श्रीमन्, शुगर मैनुअल में रिप्रेजेन्टेड केस है और जिसमें माननीय चन्द्रभानु गुप्त भी मौजूद थे और मुझे कहने की इजाजत दी जाय तो मैं कहूंगा कि २६ अक्तूबर, १९६१ को जो हाई पावर शुगर इंडस्ट्रीज कमेटी बैठी थी उसने साफ तौर से इस बात की सिफारिश की थी कि १० मील के एरिया में गुड़ और खांडसारी के यूनिट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाय। इस संबंध में जो रेजोल्यूशन है इंडिया शुगर मैनुअल, १९६२ में है, उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं।

".....The Committee further recommended that licences for power crushers should not be issued within a radius of ten miles from a mill gate and the sugar factory areas in East U. P. should be given perference in respect of minor irrigation projects."

आगे कहा है कि वेस्ट एरिया में भी नहीं देना चाहिये। तो सवाल यह उठता है कि आपने कितनी बार इस इन्डस्ट्री को चौपट करने के लिये इस तरह के काम किये हैं। क्या आज आप महात्मा गांधी के बताये हुये उसूलों पर चल रहे हैं? काटेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने की जो बात यह सरकार करती है क्या उसको बढ़ाना चाहती है? लाइसेन्स देने में, श्रीमन्, खांडसारी यूनिटों की कितनी धांधली की गयी यह भी देखने की बात है। श्रीमन्, २५ नवम्बर को लाइसेन्स दिये गये जिसके कारण एक चौथाई सीजन तो बेकार चला गया। इसके अलावा जो हमारा टार्गेट था ७ हजार टन का वह कैसे प्राप्त हो सकेगा? हमने जो तीसरी प्लान में इसका टार्गेट फिक्स किया वह पूरा नहीं हो पायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से कि सरकार की नीति साफ तरीके से मिल मालिकों के पक्ष में है। बार-बार सरकार चीनी मिलों को प्रोत्साहन दे रही है। एक तरफ उनके लिये ५० फीसदी एक्साइज की छूट दूसरी तरफ ५ करोड़ रुपया भी मिलों को दुरुस्त करने के लिये दिया गया। करोड़ों की तादाद में आज रुपया उनके ऊपर बकाया है। उसकी वसूली के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

एक तरफ यह साफ रियायत उनको मिली है, दूसरी तरफ सरकार गुड़ और खांडसारी पर कन्ट्रोल कर रही है जिसके कारण घरेलू उद्योग-धन्धे नष्ट हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और विचार कर एक ठोस नीति घोषित करना चाहिये। इस तरह का इम्पोजीशन अगर लगाया गया तो हमारे घरेलू उद्योग-धन्धे चौपट हो जायेंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

श्रीमन् इस बिल को लाने के लिये चीनी मिल मालिकों ने सरकार को प्रोत्साहित किया है। आज किसान क्या चाहता है? वह चाहता है कि जिस तरह से वह चाहे अपने गन्ने का इस्तेमाल करे। वह चाहता है खांडसारी और गुड़ का अपना व्यापार करे। हमारे विधान में भी उसको अपना-अपना व्यापार करने की इजाजत दी गयी है। मगर इस सरकार ने उस विधान की आत्मा की हत्या की है। इस विधेयक को लाकर किसानों के व्यापार पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मैं इसी सरकार के सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। इन आंकड़ों के अनुसार गुड़ का प्रोडक्शन १२.९८ लाख टन से १३.२५ लाख टन हो गया। खांडसारी का प्रोडक्शन २.५० लाख टन से २ लाख टन हो गया और चीनी का प्रोडक्शन १४.०४ लाख टन से ८.३४ लाख टन हो गया। आज किसान स्वेच्छा से खांडसारी की ओर बढ़ रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अतः सरकार इस विधेयक को वापस ले।

श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में जब अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी हमारी सरकार ने एक एलान किया था कि चार आना लगान की छूट हो जायेगी। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कांग्रेस के लोग भी गांवों में और जनता के सामने किसी तरह से जा सकेंगे। इसके होते ही फिर यह सोचा गया कि कुछ ऐसा फिर कर दिया जाय जिससे स्थिति जहां की तहां पहुंच जाय और आपने यह बिल लाकर पेश कर दिया। सवाल सिर्फ हमारे सामने यह है कि १५ लाख टन शुगर पैदा हो यह आदेश आपको मिला है कि यहां यू० पी० में पैदा किया जाय। लेकिन क्या जो लोग यह बिल लाये हैं वह यह बता सकते हैं कि आपकी जो मिलें हैं उनकी शुगर पैदा करने की कैपेसिटी क्या है? एक मिल कितना गन्ना कितने दिनों में क्रश कर देगी और कितनी शुगर कितने दिनों में पैदा कर देगी क्या यह आंकड़ा उनके पास है? और बिना इसको जाने इस चीज का प्रबन्ध करना कि कितना शुगरकेन क्रश करने के लिये आवेगा, यह कैसे वह निर्धारित कर सकते हैं? १५ लाख नहीं, ५० लाख टन भी चीनी बन सकती है, लेकिन जो चीनी बनेगी वह अपना फायदा उठाने के लिये या फारेन एक्सचेंज कमाने के लिये होगी तो क्या वह चीनी उतनी बनाने के लिये तैयार हैं जो आप मिलों से चाहते हैं। मिलों को कितना गन्ना आप देंगे और कितनी चीनी लेंगे, क्या इसके लिये कोई प्रतिबन्ध मिलों के ऊपर भी हो सकता है? इसके सम्बन्ध में सोचा गया है या यहां यह बिल उसके पहले ही चला आया है।

अब आप देखें कि कोई भी बिल चाहे यह बिल हो चाहे दूसरा, हर सरकार का यह बुनियादी सिद्धांतों का प्रतीक होता है और होना चाहिये। कोई भी बिल आता है तो वह उस प्रकार की मंशा के प्रति भी ऐसी भावना पैदा करता है जो सरकार को अपेक्षित है, जो जनता में आनी चाहिये, लेकिन इस बिल से सरकार के प्रति जो मंशा पैदा होती है वह अपेक्षित नहीं है, मुनासिब नहीं है। यह निश्चित है कि कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार या जो भी सरकार बन सकती है वह कभी यह नहीं चाह सकती कि वह गरीबों को दुख देने के लिये हिम्मत भी करे। गरीब के ऊपर

[श्री श्रीपत मिश्र]

जिस चीज का प्रभाव पड़े उस कदम को उठाने के पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या उस कदम के अलावा कोई और भी कदम उठाया जा सकता है या नहीं। जो आपने सिद्धान्त अपना बनाया है छोटे-छोटे व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये उनको तोड़ने के पहले यह सोचना जरूरी है कि उनको बिना तोड़े भी काम चल सकता है या नहीं। किसान के अलावा जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनकी तरफ उनके उत्थान की तरफ ध्यान न देकर इसमें सीधे सीधे एक बात रख दी गयी है कि मिलों को गन्ना कैसे सप्लाई हो। यह ठीक है कि जनहित में सरकार कोई भी कार्य कर सकती है, लेकिन हर हित में कोई कार्य करना तो मुनासिब नहीं है। यही भेद है अच्छी बुरी सरकार का कोई भी सरकार हो, चाहे सोशलिस्ट, हो, चाहे कैपिटलिस्ट, जो सरकार जनहित को ध्यान में रखकर काम करती है वह अच्छी सरकार होगी चाहे आप उसको कोई नाम दें और जो उन कार्यों से ध्यान हटा कर काम करे वह अच्छी सरकार नहीं कही जा सकती। तो जनहित को ध्यान में रखकर आपको आगे कदम उठाना चाहिये था। आप अगर यह समझते हैं कि इससे आपको विशेष लाभ होगा या शुगर इंडस्ट्रीज चलेगी तो शुगर इंडस्ट्रीज का चलना ही सिर्फ यह सब लोगों का हित है यह मैं नहीं मान सकता। शुगर इंडस्ट्री का चलना एक विशेष हित है या सरकार का विशेष लाभ, यह एक विशेष हित है। सरकार को लाभ हो सकता है, मिल वालों को हो सकता है यह ठीक है, लेकिन जो गन्ने का प्रोड्यूसर है उससे गन्ना लेने के लिये जो आम चलता उपाय है वह यही है कि उसको अच्छा दाम दीजिये, गन्ना उससे लेते जाइये। अगर आपको ज्यादा गन्ना लेने की जरूरत है तो ज्यादा पैसा दीजिये और कम लेने की जरूरत है तो कम दीजिये और गन्ना लीजिये। हां, अगर किसान किसी वक्त अपनी पैदावार के लिहाज से अनुचित लाभ उठाता है तब भले ही आप बीच में आइये। नहीं तो चूंकि वह उस चीज को पैदा करता है उसको उसके मुनासिब दामों पर बेचने का अधिकार होना चाहिये। किसान को छोड़ कर जो भी सामान बनाता है उसको वह सामान अपनी मर्जी के अनुसार और मुनासिब दामों पर बेचने का अधिकार है, लेकिन किसान जो चीज बनाता है उसका दाम दिल्ली और कलकत्ता से अथवा यहां से मुकर्रर किया जाता है। और वह भी इस प्रकार से कि कोई उसका दाम २ रुपया और कोई १ रुपया १२ आने दे। आज इस संशोधन विधेयक से ऐसा लगता है मानों इस सरकार की भावना मिल मालिकों को ही लाभ पहुंचाने की है। अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बुरी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हालांकि सामने से देखने में ऐसा लगता है कि सरकार की ऐसी भावना है, ऐसा लगता है कि सरकार पक्षपात कर रही है, तब तो इसमें बुद्धि की कमी भी मालूम पड़ती है। जिस तरह से यह बिल इस हाउस में लाया गया है उससे मालूम पड़ता है कि वह कृषकों के विरुद्ध है। ऐसा बिल इस हाउस में न आना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मिश्र जी ने बहुत सफाई के साथ इस बिल के बारे में अपने विचार प्रकट किये। मेरी भी राय में अगर इस बिल को काले बिल की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। सरकार की तरफ से माननीय नवलकिशोर जी यह दलील दे रहे थे कि इसमें केन्द्रीय सरकार का दखल है, लेकिन मेरी राय में इस बिल के लाने में केवल इस प्रदेश के मिल मालिकों और इस सरकार का ही हाथ हो सकता है। मिल मालिकों के दबाव में आकर इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला, डी० आई० आर० और दूसरे प्रतिबंध लगाये और इस विधेयक के द्वारा भी इस सरकार के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। जहां तक चीनी के उत्पादन की बात है वह तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन खांडसारी के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना, १६ पैसे की जगह ३२ पैसा टैक्स करना साफ साफ इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार मिल मालिकों के प्रभाव में आ गयी है।

पिछले वर्षों में इन्हीं क्रशर वालों ने मिल मालिकों को ऐसी डिफीट दी थी कि मिल मालिक घबरा उठे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार के यहां उन्होंने दुहाई दी। इससे प्रदेश के किसानों को

लाभ हुआ और जिस गन्ने की कीमत मिल मालिक डेढ़ रुपया या एक रुपया दस आने दे रहे थे उसका दाम क्रशर वालों ने सवा दो रुपया और दो रुपया दिया, इसका नतीजा यह हुआ कि मिलों को गन्ना कम मिला। अब इस समय मिल मालिकों के प्रभाव में आकर सरकार इस काले कानून को सदन में लाई है और उसका केवल एक यही उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में किसी भी प्रकार से १५ लाख टन चीनी पैदा हो जाय। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है? जहां किसानों के फायदे का सवाल आता है यह सरकार बीच में आकर उसमें दखल देती है। अभी माननीय नवलकिशोर जी ने जिक्र किया कि दिल्ली में ५० रुपया मन गुड़ बिक रहा है और राजस्थान में भी बिक रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को बाहर की मंडियों में गुड़ के दाम ५०-६० रुपया मन मिल जाय तो इस से सरकार को क्यों तकलीफ होती है? इस में सरकार की क्या हानि है और क्यों सरकार इस को गवारा नहीं कर सकती और डी० आई० आर० का प्रयोग करती है? इस में साफ लिखा है कि खांडसारी और गुड़ पर प्रतिबन्ध इसलिये लगाया जा रहा है कि जिससे गुड़ व खांडसारी के दाम घटें और किसान मिलों को गन्ना देने के लिये मजबूर हो जाय।.....

श्री उपाध्यक्ष—

बातें बहुत हो रही हैं।

श्री ठक्कर—

इस से जाहिर है कि यह सरकार पूंजीपतियों की चेरी बन गई है और वह उन्हीं मिल मालिकों के पक्ष में काम करती है। सरकार के गन्ना विकास विभाग का कौन-सा ऐसा कार्य है कि जिससे गन्ने की पैदावार बढ़ी हो। पिछले दिनों का आप देखें कि मिल का रिजर्व क्षेत्र कितना था और अब कितना बढ़ाया जा रहा है। मिल मालिकों ने गन्ने की पैदावार के बढ़ाने में क्या योग दिया है। क्या सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती थी कि वह गन्ने के उत्पादन के बढ़ाने में किसान की हर तरह की मदद करते, उनको अच्छे औजार, बीज देते, उनके लिये सड़क और पुलिया बनवाते और साथ में सरकार का विभाग भी उन की मदद करता? लेकिन यह नहीं किया गया और आज उन के लिये रिजर्व क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है और सब काम मिल मालिकों के पक्ष में किये जा रहे हैं। अगर यह सरकार मिल मालिकों को धमकाती कि अगर आप गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते तो हम तुम्हारी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। अगर इस तरह का दबाव होता तो यही मिल-मालिक किसानों को हर तरह से प्रोत्साहित करते और गन्ने का उत्पादन कहां से कहां पहुंचता, लेकिन न तो सरकार के गन्ना विकास विभाग ने और न मिलमालिकों ने इस दिशा में कोई काम किया है। यह सब न कर के आज मिलमालिकों के हित में दस मील का क्षेत्र रिजर्व किया जा रहा है और अगर इस से भी पूरा न होगा तो सरकार अपना टार्जेट २० लाख टन फिक्स करेगी और फिर दस मील की जगह १५ मील का क्षेत्र सरकार रिजर्व करेगी तो इसका नतीजा यह होगा कि सूबे के किसान बिलकुल मर जायेंगे। मैं साफ-साफ कहूंगा कि सचमुच किसानों के विरोध में है और पूंजीपतियों और मिल-मालिकों के हित में काम कर रही है।

सेंट्रल गवर्नमेन्ट के दबाव की बात कही गई। यह सरकार तो स्वयं सेंट्रल गवर्नमेन्ट पर दबाव डालती है। गंडवा और राबर्ट्सगंज की रेलवे लाइन में मिर्जापुर की जमीन ली गई तो बिहार सरकार और दूसरी सरकारों ने ढाई-ढाई हजार रुपया प्रति एकड़ अपने यहां के किसानों को केन्द्र से मुआवजा दिलवाया, लेकिन इस सूबे की सरकार ने अपने किसानों को केवल २५ रुपया एकड़ ही मुआवजा दिलवाया है। तो मैं कैसे समझूं कि यह सरकार उनका भला चाहने वाली है, यह किसी के दबाव में नहीं आती, बल्कि यह स्वयं ही डरती है। यह पूंजीपतियों और केन्द्रीय सरकार सब से डरती है और मिलमालिकों के हित में ही कार्य करती है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इसको शीघ्र ही वापस कर ले। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी शुगर और शुगरकेन के मामलों के एक्सपर्ट हैं उन से विचार-विमर्श के बाद यदि कोई संशोधित विधेयक लाया जाय तो उस पर विचार किया जा सकता है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के सदस्यों तथा बहुमत दल के सभी सदस्यों के भाषण गौर से सुने और इस नतीजे पर पहुंचा कि सब ने इस बिल का विरोध किया, परन्तु उस विरोध में एक बात दिखाई दी, जैसे अभी ऊदल जी बोल रहे थे कि यह सरकार किसान विरोधी है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि जब चीन का हमला हुआ और किसान के लड़के वहां लड़े और मारे गये तो क्या आप उनकी मदद करने गये थे? कितने कम्युनिस्ट वहां जाकर लड़े? इस सरकार ने तो उनके लिये काफी किया। तो अब आप बतायें कि किसान विरोधी ऊदल जी हैं या सरकार? उनका एक ही उद्देश्य कि हड़ताल, दंगे कराकर सरकार को नुकसान पहुंचाया जाय। यही उनकी पार्टी का मतलब है जिसको वह हल करना चाहते हैं। किसान पर कर लग रहा है, उसके गन्ने की सीमा निर्धारित की जा रही है, गुड़, खांडसारी पर कर लगा रहा है, लेकिन समाजवाद के ठेकेदार आपस में लड़ रहे हैं यह कह कर कि हम ही सबसे ज्यादा समाज के ठेकेदार हैं। कृपया आप इतने बड़े ठेकेदार न बनिये कि किसान, मजदूर का नुकसान करें। जब जब मुसीबत आती है सभी किसान की जय बोलते हैं और अपना मतलब निकाल कर चले आते हैं। फिर नहीं पूछते किसान को। वाकई में जो ठोस किसान, मजदूर के नुमाइन्दे हैं उनको नहीं बोलने दिया जायगा।

जहां तक इस बिल का मतलब है हम सब विचार करें जिससे किसान की रक्षा हो सके, उसके गन्ने की रक्षा हो सके। इसलिये या तो इसको प्रवर समिति को भेजा जाय या यहां विचार करके अगर उचित समझा जाय तो इसको रखा जाय नहीं तो हटा दिया जाय। भूमिहीन किसान के पास कोई रोजगार नहीं है सिवाय इसके कि वह कोल्हू पर काम करे। तो मैं तो चाहता हूं कि बजाय सीमा निर्धारित करने के जितनी चीनी आपको बाहर भेजनी है वह सब भेजें बाहर और यहां पर गुड़ और खांडसारी का प्रयोग किया जाय। हम अपने देश को एक छटांक चीनी भी खाने को न दें, बल्कि जो हमारी खांडसारी और गुड़ बने वह ही हमारे देश को दिवें, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जितनी अच्छी चीज गुड़ और खांडसारी है उतनी चीनी नहीं। इससे हमारी आमदनी होगी, लेकिन सीमा निर्धारित करने से किसानों का बहुत नुकसान होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल को नहीं समझे हैं। पहले इसको पढ़ लें।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, इन लोगों का एक ही उद्देश्य हो गया है कि इन्हें खुद तो कुछ पता है नहीं और जो भी इसके पक्ष में बोलें उनको न बोलने दिया जाय। आप बिल का विरोध करें, लेकिन यह सरकार डरने वाली नहीं है। यह बड़ी मजबूत है। यह सरकार किसानों और मजदूरों की है। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इससे शहर वालों को चीनी अधिक खाने को दी जाती है। इसे मैं उचित नहीं समझता हूं। अगर देहातों और शहरों में चीनी दी जायगी तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि किसानों के प्रति जो उदासीनता है वह उदासीनता समाप्त हो। हमारी सरकार किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा सोचे और फिर इसको सदन में उपस्थित करे।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी मुझ से पहले सिन्सीयर लोगों के बहुत भाषण हो चुके हैं। मैं तो ऐसी भाषा के माने नहीं जानता, लेकिन मैं एक किसान हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, गन्ना बोया है, मैंने गन्ने के खेत में गुड़ाई लगायी है, मैं गन्ने की सभी चीजों को जानता हूं। मैं हरीसिंह जी और मिश्रा जी जैसा आदमी नहीं हूं, क्योंकि वे तो हुल्लड़बाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी हैं। मैं यह जरूर मानता हूं कि श्री गेंदासिंह जी की बराबरी में इस उद्योग के मामले में मैं नहीं जानता, लेकिन यह अवश्य जानता हूं कि यह सरकार ऐसा बिल लाकर किसानों को खूनी क्रांति का निमंत्रण देती है।

उपाध्यक्ष जी, मैं दो चार बातें कहूंगा। कोई माननीय सदस्य कहता है कि यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय और कोई कहता है कि इसको वापस ले लिया जाय, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं इस पर मिट्टी का तेल डाल कर फूंक दूं। इसकी जरूरत नहीं थी और अगर बनाना हो तो इस बिल को बनाने के लिए कुछ किसान बैठा लिये जायं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह लिखा किसने? यह बिल बनाया किसने? मैं स्वागत करता आज सरकार का कि कोई ऐसा बिल लाती किसानों के लिए कि जो ३ आने का रेट १९५४ में जब सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया और आबपाशी में छूट मिली थी उसको जोर देती तो मैं स्वागत करता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि कितनी मेहनत से गन्ना पैदा होता है? जमीन में जुताई सब फसलों से ज्यादा होती है। पानी इसके लिये ज्यादा चाहिये। मेरे जिले में तो कोई मिल है नहीं। इसी सदन में सुना है देवरिया तथा मेरठ के विधायकों से कि ये मिलें किसानों को धोखा देती हैं। गन्ने को खरीदती नहीं। खड़े गन्ने में किसानों को आग तक लगानी पड़ती है। तो मैं इस सरकार को चैलेंज देता हूं और मेरा चार्ज है कि जिस दिन किसान जागरूक होगा तो इस सरकार के मंत्रियों को कठघरे में खड़ा करके मुकदमा चलाया जायगा और मंत्रियों से गन्ने का मुआवजा लिया जायगा।

विदेशी मुद्रा वाली बात मैं भी मानता हूं। मैं चाहता हूं कि देश में गन्ने का तथा चीनी का उत्पादन बढ़े, लेकिन हमसे पूछो कि कैसे बढ़े। इस सरकार के दिमाग का तो दिवाला निकल गया है, यह कुछ जानती नहीं। किसान को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिये पानी दो, अच्छी खाद दो, खेती के अच्छे अच्छे औजार दो तो गन्ना का उत्पादन होगा अगर और बिल की एक धारा भी पास कर दी तो मुझे विवश हो कर हर जिले में जाकर कहना पड़ेगा कि गन्ने का उत्पादन ही बन्द कर दो। गेहूं, चना, मटर बोओ यह सरकार किसानों की छाती पर चढ़ कर काला कानून बनाना चाहती है। अगर इस कानून को पास किया गया तो यही सरकार नहीं दिल्ली की सरकार का नाम लेवा और पानी देवा तक सन् १९६७ में कोई नहीं रहेगा। उधर के सदस्य जो किसानों के बीच से चुन कर आये हैं वे सवाई लगान की छूट का प्रचार करने लगे हैं, लेकिन सत्य यह है कि मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता जी ने हमारी बात मानी और सवाई लगान को छोड़ दिया। हमने इस विधान सभा में पास करवा कर उस सवाई लगान को हटवा दिया। मैं सुचेता जी से फिर प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से सवाई लगान की बात हमारी मानी गयी उसी तरह से आज भी अगर वह हमारी बात मानेंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे और हम ही नहीं इस प्रदेश के सारे किसान जय जयकार मनायेंगे। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस काले कानून को फूंक दिया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तुत विधेयक को यथाशक्ति पढ़ने की कोशिश की और पूरा पूरा प्रयास किया समझने का, परन्तु मुझे खेद इस बात का है कि हर कानून जो बनाया जाता है मुल्क की व्यवस्था के लिये वह सरकार की नीति का नेतृत्व करता है, लेकिन मैं जिस पहलू से भी इस बिल पर नजर डालता हूं तो देखता हूं कि यह हमारी सरकार की किसी भी नीति, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक, का नेतृत्व नहीं करता। मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं इस बिल के मैकेनिज्म के अन्दर गया और उसको देखने की कोशिश की तो मुझे यह स्पष्ट दिखायी दिया, चाहे कोई कितना ही धुंधलापन इसके ऊपर डाले, कि आल इंडिया शुगर एसोशियेशन के अधिक प्रभाव में आकर उनके हितों की अधिक रक्षा इस बिल के द्वारा की जा रही है। यह बिल ऐक्स-पार्टी है इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं। अगर हमने अपनी बुद्धि को किसी के हवाले नहीं किया, अगर हमने अपनी ईमानदारी की तिजारत नहीं की, अगर हम अपने मुल्क की जनता के खैरख्वाह हैं तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि यह बिल ऐक्स-पार्टी है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक चीनी को देखा जिसने हमारे मुल्क की उत्तरी सीमा पर हलचल मचा कर हमारी ४० हजार स्क्वायर मील भूमि पर कब्जा कर लिया। हमने देखा दूसरी चीनी जो इस मुल्क में पैदा होती है उसने इस मुल्क के दिल और दिमाग में वह हलचल पैदा की है जो उस चीनी की हरकतों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बाजार के भावों और से हमारे देहात की जनता से इस बिल का रिश्ता है। हमारी देहात की जनता ८०--८५ फीसदी है। यह जम्हूरियत का राज्य है। इसलिये जो भी बिल उस जनता के आर्थिक पहलू का नेतृत्व नहीं करता, अगर हम उसे पास करते हैं, तो हम अपनी राजनीतिक शक्ति को खत्म करना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि बाजार के भावों पर इस बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जापान २० साल तक बम्बार्ड कर के भी चीन को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन च्यांग-काई-शेक और उनकी सरकार इसी आर्थिक पहलू के कारण सदा के लिये चीन की भूमि से विदा कर दिये गये। इसलिये इसका आर्थिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हमको इस बिल को इस तरह नहीं लाना चाहिये कि यह कोई मजाक है। यह तो मुझे सरकारी नौकरों की तनख्वाह के लिये मालूम होता है। जो ३२ नये पैसे की आप बात करते हैं तो आप ५० नये पैसे लगाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी बेसिस सही होनी चाहिये, इस तरह की बेसिस नहीं कि सरकारी नौकरों पर छोड़ दिया कि वे असेस करें कि उन्होंने कितना गन्ना पेरा। सरकारी नौकर कब आते हैं किसको पता है? क्या वे चौबीसों घंटे बैठे रहेंगे? इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जिस एरिया पर शुगरकेन खड़ा है चाहे वह मिल को जाता है, चाहे खांडसारी में जाता है और चाहे राब में जाता है, उसके ऊपर असेसमेंट होना चाहिये जिस एरिया पर गन्ना खड़ा है वह एरिया असेसटेन्ड है। इसमें कोई गलती नहीं है और वही सही अन्दाज हो सकता है। अगर सरकार टैक्स चाहती है तो बिल का जो बेसिस है वह अनसरटेन और अोब्सक्योर है और इसके ऊपर आधारित करके आप लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पायेंगे।

तीसरी बात मैं शुगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं। आपने देखा कि जो लोग गन्ना पैदा करके लाखों टन चीनी पैदा करते हैं, उन लोगों के लिये मंत्री जी ने बताया कि देहात के लोगों को चीनी की जरूरत बहुत कम है। शहरों का कोटा देखिये और देहात का कोटा देखिये। अगर सरकार समाजवाद लाना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि इसकी झलक इस बिल की रोशनी में देखी जाय तो मालूम होगा कि यह बिल ऐसा है जैसे कि फ्यूज्ड बल्ब होता है। इससे हमारे किसानों को कोई गरमी और राहत नहीं मिलेगी।

यह कहना गलत है कि केन्द्रीय सरकार ने हमारे ऊपर यह थोप रखा है। आप से कहा गया कि १५ लाख टन चीनी बनाइये। इसके माने यह नहीं है कि पूरी न होने पर फांसी दी जायगी। यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिये। यह तो बहुत कम है। अगर सरकार सही रास्ता अख्तियार करके आगे बढ़े तो ५० लाख टन चीनी पैदा हो सकती है। अगर चीनी के दाम बढ़ाये जाते हैं और गन्ना की कीमत अधिक मिलती है तो सारे प्रदेश में गन्ना ही गन्ना छा जायगा और गेहूं, जौ, चना वगैरह की खेती खत्म हो जायगी, लेकिन आर्थिक पहलू को देखना चाहिये। हमारे यहां अन्न की कमी है। आपको प्रोडक्शन निर्धारित करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत लम्बी बहस हो चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि पांडेय जी ने इसका अध्ययन नहीं किया है और जैसा अधिकारियों ने बना दिया है वैसा ही यह है और थोड़ा सा राममूर्ति जी ने इसको पायलट किया है। १५ लाख टन चीनी सरकार को तैयार करवाना

है। इसके लिये बहुत बड़ा प्रबंध सरकार करने जा रही है। पहले तो सरकार ने कानून बनाया है कि जिसके पास १०० मन गन्ना है उसको ६६ मन गन्ना मिल को जरूर देना होगा। हमारे पूर्वी जिले में राघवदास जी नेता थे वे कहते थे कि इस तरह से गुड़ बनाओ, इस तरह से अच्छा बनेगा और वे छोटे-छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देते थे। उन्हीं के चेले लोग बैठे हुए हैं। काफी शक्ति है उनके पास। छछिया फायर करने वाले लोग भी हैं। जो बातें हम लोगों को करना चाहिये हम नहीं करते, वह सरकारी पक्ष के लोग करते हैं। यह समाजवादी प्रोग्राम है पांडेय जी का और इस सरकार का कि छोटे छोटे उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया जाय और बड़े बड़े धंधे प्रगति के पथ पर चलें। यह सरकार जितना जनहित विरोधी कार्य हो सके वह करने को तुली हुई है और कर रही है। गुड़ मत बनाओ, खांडसारी मत बनाओ। मैं एक सवाल पूछता हूं पांडेय जी से कि अगर गुड़ न बनायें, खांडसारी न बनायें तो जितना गन्ना पैदा हुआ है क्या वह सब मिलें पेर डालेंगी? नहीं पेर सकती हैं। सरकार कहती है कि १५ लाख टन चीनी तैयार करो, लेकिन किसानों के साथ इस सरकार और मिल मालिकों ने क्या किया है? गन्ना उत्पादक के साथ हमेशा दुर्व्यवहार हुआ है। गन्ने की कीमत में कितना अन्तर है? रिकवरी के बेसिस पर गन्ने की कीमत निर्धारित की गयी है और जब गन्ना किसान मांग करता है कि गन्ने की कीमत बढ़ायी जाय तो आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। आज भी देवरिया जिले में जितनी चीनी मिलें हैं उनमें से अधिक संख्या में बन्द हैं। किसान गन्ना नहीं बे रहा है वह गन्ने की कीमत दो रुपये से ज्यादा चाहता है। मैं समझता हूं कि सारे प्रांत में किसान इस समस्या को लेकर जागरूक हो चुका है और अपनी मांग पर डटा हुआ है। सरकार इस मामले को प्रेस्टिज का प्रश्न बना बैठी है। उसी तरह से पांडेय जी भी इसको प्रेस्टिज का प्रश्न न बनायें और इसको वापस ले लें, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग धंधों—गुड़ और खांडसारी बनाने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, जिनको वह चाहते हैं कि समाप्त कर दिया जाय। हमें मालूम होता है कि यह सरकार उन मिल मालिकों के साथ ऐसा फंस गयी है कि उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल है। फिर इस तरह से कानून बनाकर १५ लाख टन चीनी १५ जन्म में भी यह सरकार नहीं तैयार करा सकती है, ऐसा गलत कानून बना कर सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती।

इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पांडेय जी से, क्योंकि वह हमारी उम्र के हैं, नौजवान हैं, इस को ठंडे दिल से मनन कर लें और माननीय राममूर्ति जी से भी सहयोग ले लें और इसको वापस ले लें। अगर वह वापस नहीं करते हैं तो उन लोगों के ऊपर यह लांछन रहेगा कि चुनाव में मिल मालिकों से रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं इसलिए उनके पक्ष की बात करते हैं, जनहित विरोधी कार्य करने पर तुले हैं। सारा आक्षेप उनके ऊपर आक्षेप होगा। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसको वापस लें और कमेटी न बनायें। कमेटी की कोई जरूरत नहीं है।

*श्री बैजनाथसिंह बैस (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस जोड़ में तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो हूं ही। दरअस्ल जो जोड़े खुली हैं कुछ देर से वह एक दूसरे से मुकाबिले में एक होड़ सी लगी है कि जो यहां से शुरू हो उसका वहां से जवाब हो और जो वहां से शुरू हो उसका यहां से जवाब हो। बातें सब वही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार के जनहित वाले बिल जब आ जाते हैं तो उनमें हमारे विरोधी भाई और हम सब मिलकर एक ही तरह से सोचने लगते हैं। इस बिल का आर्थिक पहलू जैसा कि रावत जी ने कहा था बहुत ही ऊंचा और सुन्दर है, लेकिन उसका परिणाम जो है वह अच्छा नहीं है। वह इसलिये अच्छा नहीं है कि अगर बिल जैसा है ज्यों का त्यों पास कर दिया जाता है तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जायंगी। हमारे किसान जो गन्ने का व्यवसाय करते हैं और गुड़ और खांडसारी बनाते हैं वह एक अजीब आर्थिक संकट में पड़ जायेंगे। इसलिये इधर और उधर दोनों तरफ बैठने वाले लोगों ने अपनी अपनी जो रायें दी उससे हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस बिल का जो दूसरा पहलू है वह हमारे हित में नहीं है और उसका मैं समर्थक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह बेदी]

हीन हूं। मैं भी यह चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय। वहां बैठकर इसके ऊपर विचार किया जाय और वह बातें जो किसानों के हक में नहीं हैं, जिनके कारण किसानों का नुकसान होने वाला है वह बातें उनमें से निकाल दी जायं और जिन बातों से चीनी की पैदावार अधिक से अधिक हो और उस पैदावार के द्वारा हम केन्द्रीय सरकार की मांग को अधिक से अधिक पूरा कर सकें। वह बातें उसमें रखें।

आपको मालूम होगा दो तीन साल पहले हमारे प्रदेश में इतनी चीनी भरी पड़ी थी, इतना स्टाक हो गया था कि मिल मालिकों की यह शिकायत थी कि हमारी चीनी पड़ी हुई है और इसका कोई प्रबन्ध होना चाहिए। नतीजा यह कि मिल मालिकों के ऊपर सरकारी टैक्स का एक अम्बार सा पड़ा रह गया था। हमारे विरोधी दल के भाई शिकायत करते थे कि मिल मालिकों से टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा है। उस वक्त चीनी की कहीं खपत नहीं रह गई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति उस समय पैदा हो गई थी, लेकिन इमर्जेंसी टाइम में आवश्यकता पड़ी और चीनी को बाहर भेजकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की बात सोची गई जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तब से यह चीनी ज्यादा पैदा करने की तरफ ध्यान गया। यह बात सही है कि चीनी के व्यवसाय को बहुत ही डिस्करेज किया गया था और ऐसी पालिसी बनाई गई थी कि जिसके कारण चीनी की पैदावार हमारे प्रदेश में बहुत कम हो गई थी। अब एक बारगी ऐसा प्रश्न सामने है कि ज्यादा से ज्यादा हम पैदा करें और इतना ज्यादा पैदा कर लें जितना कि केन्द्रीय सरकार हमसे चाहती है, तो एक बारगी तो यह नहीं हो सकता। लेकिन जैसे धीरे धीरे वह कम हुई थी वैसे ही धीरे धीरे उस स्तर तक हम पहुंच जायेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीनी पैदा करके दे सकेंगे।

श्रीमन्, बिल का मकसद बहुत साफ और सुन्दर है, लेकिन मैं बिल को ड्राफ्ट करने वालों से यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त बिलों को वह ड्राफ्ट किया करें उस वक्त यह समझकर न किया करें कि एक बहुत बड़े कमरे में एक चौड़ी सी मेज पर बैठे हुए हैं और वह लिखना पढ़ना अच्छा जानते हैं बल्कि यह भी उनको देखना चाहिए कि मौजूदा परिस्थिति किसानों की क्या है और इसका किसानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इससे किसान और सरकार के बीच का सम्बन्ध किस प्रकार का रहेगा? यह बहुत गलत बात है कि बिल सदन में आवे और वह जनप्रिय साबित न होकर वापस हो या सेलेक्ट कमेटी को जाय। हम समझते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। अच्छे अच्छे शब्दों को क्लिष्ट हिन्दी में करके एक सुन्दर सा रूप बनाकर रख देते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं देखते हैं। उसका अर्थ उसका परिणाम जब हम देखते हैं तो इतना भयंकर और भयावह लगता है कि उस पर निगाह भी नहीं डाली जा सकती, देखें तो देखा भी नहीं जा सकता। पढ़ने में लोगों को तकलीफ होती है। माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें यहां पर कहीं। जैसा कि उनको गन्ने के विषय में अधिकार प्राप्त है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर बतलाईं। जिस वक्त वह बोल रहे थे मैं उनको बैठा हुआ सुन रहा था। उन बातों में एक एक बात अक्षरशः सत्य है। जितनी बातें उन्होंने कहीं उनमें से कोई ऐसी नहीं थीं जो मानने के लायक न हो। यह बात दूसरी है कि वह यह सोचें कि वह विरोधीदल की तरफ से बोल रहे हैं और उनकी बातें हमको पसन्द न आवें, लेकिन हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इमरजेन्सी के टाइम को देखते हुये, परिस्थितियों को देखते हुए, जमाने को देखते हुए, देश की आवश्यकता को देखते हुए अपने किसानों की हालत को भी देखना पड़ेगा। रक्षा की साइड में सारे विचारों को देखते हुए यह भी सोचना पड़ेगा कि दूसरी तरफ कहीं विध्वंस पैदा न हो जाय और किसान के अन्दर अशान्ति न पैदा हो जाय और हमारे गांवों के अन्दर किसान जो खांडसारी और गुड़ पैदा करते हैं वह बरबाद या तबाह न हो जांय। ऐसे बिल की कोई तारीफ नहीं की जा सकती जो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दे। लोगों ने इसको सोचा और हमारे मिनिस्टर साहब ने भी इसको सोचा और तय किया कि इसमें जल्दी न की जाय और इसको स्थागित करके सेलेक्ट कमेटी के सामने

भेजा जाय। सेलेक्ट कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। दोनों पक्ष के लोग उसमें बैठेगें और विचार करेंगे और किसानों के बारे में जो त्रुटियां इसमें रह गई हैं उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तब यह सुन्दर बिल बनेगा और जनहित के लिये ऐसा सुन्दर बिल बनेगा जिससे केन्द्रीय सरकार का मकसद भी पूरा हो जाय और हमारे किसानों को भी नुकसान न हो।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन ने अन्दर जो यह बिल उपस्थित है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि इसको वह वापस लें। इस बिल पर श्रीमन्, कल से चर्चा हो रही है और अब चर्चा समाप्त होने में थोड़ी सी देर है। जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं सब ने एक मत से यह निश्चित मत व्यक्त किया है कि यह बिल किसानों के ऊपर एक प्रकार से बज्रपात करने वाला है और किसानों को परेशानी में डालने वाला और किसानों उत्पादन के अन्दर जो कुछ भी उसकी आवश्यकतायें हैं उनके अन्दर परिवर्तन करने वाला है। वास्तव में अगर देखा जाय तो यह चीनी और गुड़ के सम्बन्ध में सारे प्रदेश के अन्दर सरकार की जो नीति है वह स्पष्ट नहीं है। इस नीति क अगर आप देखें तो प्रारम्भ से ही सरकार की ऐसी नीति रही है कि जो गन्ने के उत्पादक हैं, जो मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर गन्ना पैदा करते हैं, जिनको इस सरकार की नीति के आधार पर कम पैसा मिलता है उनको लाभ कम पहुंचता है। जो मिलमालिक हैं, जो किसानों की मेहनत की कमाई का, अपने पास मिल रखने की वजह से, अपने पास पैसा रखने की वजह से किसानों पर नियन्त्रण रखने की वजह से फायदा उठाते हैं। सरकार की यह पिछले वर्षों से नीति रही है। देखने से यह मालूम होता है कि सरकार की नीति बिलकुल मुहम्मद तुगलक की नीति रही है। अभी कुछ वर्ष पहले सरकार ने घोषणा की कि गन्ने की पैदावार बढ़ाना चाहिये और सरकार ने इसका बहुत प्रचार किया और इसके लिये किसानों को सुविधा भी बहुत दी कि जो गन्ने का ज्यादा उत्पादन करेंगे उनको बहुत सुविधा दी जायगी। किसानों ने गन्ना अधिक पैदा किया और इसके लिये किसानों ने बहुत प्रयत्न किया। इसके बाद मिल मालिक और सरकार में कुछ इस प्रकार की बात हुई कि जिसके आधार पर किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। सरकार उसको पेरवा नहीं सकी। मिल मालिक को सरकार बाध्य नहीं कर सकी। किसानों को इससे निराशा हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले दिनों हमारे गन्ने और शुगर का जो उत्पादन था वह कम हुआ।

अब इस साल सरकार ने यह योजना इसलिये लागू की कि केन्द्र से हुक्म आ गया कि ८ से १५ हो जाय। जो मुर्गीवाली कहानी है उसके अनुसार सरकार एक ही दिन में सारे सोने के अंडे निकाल लेना चाहती है। सरकार की योजनायें किसान को प्रोत्साहन देने के लिये नहीं हैं। वह उसके रास्ते में अड़ंगे डालने और उन पर टैक्स लगाने के लिये हैं। अगर किसान अधिक उत्पादन कर लेता है तो उसे बाध्य किया जाता है कि जब तक माल उसके पास रहे सस्ता बेचा जाय और जब वही माल व्यापारी के पास पहुंच जाय तो उसका दाम ज्यादा हो जाय। इस प्रकार सरकार का और पूंजीपतियों का एक षड़यंत्र है और उसकी नीति किसान-विरोधी है।

डी० आई० आर० का उपयोग भी केवल किसान के लिये ही है। आपतकाल में टैक्स भी केवल किसान के ऊपर ही लगाया गया। किसी दूसरे वर्ग, वकील, क्लर्क आदि को सरकार ने छुआ तक नहीं। कानपुर के मिल मालिकों पर बिजली का, चन्दे का, आयकर का करोड़ों रुपया बाकी है, लेकिन उनके लिये डी० आई० आर० का उपयोग यह सरकार नहीं कर सकी। जो किसान अपना पसीना बहा कर, धरती की छाती फाड़ कर उत्पादन करता है, जिसे किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुपाल सिंह]

प्रकार का संरक्षण नहीं है, उस पर यह सरकार सी० आई० आर० का प्रयोग करती है । गुड़ जो उसके जीवन की दैनिक आवश्यकता की वस्तु है उसे बनाने से उसे रोका जाता है और इस प्रकार की सरकार की नीति किसान-विरोधी भावना की परिचायिका है । इससे प्रदेश के गुड़ और खांड-सारी उद्योग को निश्चित रूप से घाटा होने वाला है । सरकार को तो ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जिससे गुड़ और खांडसारी का उत्पादन बढ़े, किन्तु इसके स्थान पर उसे बाध्य किया जा रहा है कि वह अपना गन्ना मिलों को दें । अभी हरदोई वाले सज्जन ने कहा कि बिना इस बात का लिहाज किये हुये कि बीच में नदी है या नाला, इस मील का घेरा खींच दिया गया है । इससे किसान को कठिनाई होगी । सरकार की इस नीति से किसान को फायदा होने वाला नहीं है । इससे उसका जीवन अनिश्चित हो जायगा । सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहिये कि इससे प्रदेश में गन्ने का उत्पादन कम हो जायगा और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये उसे सिंचाई आदि की व्यवस्था करनी चाहिये । ऐसा करके ही सरकार गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकेगी और इस दिशा में हमारा प्रदेश अग्रसर हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं पीठासीन जी से प्रार्थना करता हूं कि यह बिल जो विकास में बाधा डालने वाला है, उसे प्रेस करना उनके लिये शोभा नहीं देता और इस पर सरकारी पक्ष और इस पक्ष के सदस्यों की भावनायें देखने के बाद इसे वापस लें । इसे सरकार सच्चाई और ईमानदारी से वापस लें और इस समस्त सदन के सदस्यों की भावनाओं का आदर करें ।

श्री रामलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बिल सरकार ने पेश किया है मैं उसका ज्यों का त्यों समर्थन करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूं । मैं प्रदेश के उस अंचल से आता हूं जहां पर ८७ फीसदी किसान गन्ने की खेती करते हैं । देवरिया जिले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार ३ लाख ६५ हजार परिवार हैं और वहां पर ३ लाख ८७ हजार व्यक्ति गन्ना सोसाइटियों के सदस्य हैं । देवरिया जिले की २५ फीसदी जमीन पर गन्ने की खेती हो रही है । १४ चीनी मिलें हमारे जिले में हैं । आज एक ओर सरकार किसानों को अधिक से अधिक गन्ना मिलों को देने के लिये मजबूर कर रही है, कानून उसके लिये बनाये जा रहे हैं । दूसरी ओर जहां का किसान गन्ना देना चाहता है उसे उचित कीमत नहीं मिल रही है । जिन जगहों पर किसान गन्ना गुड़ और खांडसारी के लिये देना चाहते हैं वहां उनको रोका जा रहा है । सरकार का यह मार्ग गलत है ।

हमारे यहां जो चीनी की मिलें ऐसी हैं जिनकी चीनी की रिकवरी बहुत कम है जो ९ १/२ पर्सेंट से ज्यादा चीनी नहीं बना पाती हैं, वहां पर २ रुपये का भाव सरकार ने रखा है और उस एरिया में जहां पर किसान अच्छा गन्ना पैदा करते हैं और चीनी की रिकवरी भी ज्यादा होती है वहां पर दाम कम हैं । सरकार ने कहीं दाम दो रुपये और कहीं १ रुपया १२ आने रखा है । मैं तो कहता हूं कि सरकार अगर किसान के गन्ने के बेचने की उचित व्यवस्था ही केवल कर दे तो १२ लाख टन चीनी आसानी से पैदा हो सकती है । देवरिया जिले में करीब ५० लाख मन गन्ना ऐसा था जो बिहार और नेपाल से आता था । आज किसानों ने हड़ताल कर रखी है । आज एक मिल में २ रुपये का भाव है और उसी के करीब की दूसरी मिल में १ रुपया १२ आने का भाव है । इस कारण किसानों ने निराश होकर महीनों तक हड़ताल रखी । इससे कितना नुकसान हुआ ? अब तक तो लाखों टन चीनी बन गयी होती । आज कहीं हड़ताल है, कहीं झगड़ा होता है, कहीं पर लोग किसानों को गन्ना न देने के लिये प्रोत्साहित करते हैं । इससे किसानों का ही अहित होता है । किसानों को अगर इस बात की आजादी हो कि वे अपना गन्ना चाहे मिलों को दें, चाहे गुड़ बनायें तो इससे बड़ा फायदा हो सकता है । अगर किसान को गन्ने का उचित मूल्य मिलेगा तो कोई ऐसा बेवकूफ किसान न होगा जो मिलों को गन्ना न देगा । पूरब का किसान तो गुड़ बड़ी मजबूरी में बनाता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले, इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, किसान को पूरी आजादी हो कि वह चाहे गुड़ बनाये, चाहे खांडसारी बनाये और

चाहे मिलों को अपना गन्ना दे। सरकार को सब जगह गन्ने के दाम भी एक करने चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि मेरठ में कुछ दाम हैं और बलिया आदि में कुछ हैं। सरकार को इस नीति को भी बदलना चाहिये। सरकार के पास इस समय जो कानून हैं जिनके अनुसार यह चीनी मिलें चल रही हैं वह कानून इतना काफी है कि उनसे वह चीनी बनवा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि पूर्वी जिलों में जहां कोल्हू कड़ाह नहीं रह गये हैं वहां मुनासिब दाम देकर किसानों का कुल गन्ना खरीद लिया जाय और सब की चीनी बनायी जाये और पश्चिमी जिले वालों की अगर वह गुड़ या खांडसारी बनाना चाहते हैं तो उनको बनाने दिया जाय। अगर उन पर टैक्स लगाकर चीनी मिल वालों को कुछ देना चाहते हैं तो वह दूसरे ढंग से कर लीजिये, लेकिन इस तरह से न सरकार का लाभ होगा और न किसान का, उलटे जिन जिलों में चीनी मिलें हैं चीनी और केन के आफिसर्स गड़बड़ी करेंगे और पैसा कमायेंगे, इससे उनको ही लाभ होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस बिल को वापस ले और पूर्वी जिलों में किसानों को पूरी कीमत दें, केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करे कि पूर्वी जिलों में जहां गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, जहां के किसान के पास सिवाय गन्ने के और कोई फसल ऐसी नहीं है जो अति वृष्टि, अनावृष्टि, ओला और पाला पड़ने के समय उसकी मदद कर सके, उसके लिये गन्ना ही एक सहारा होता है, इसलिये उसको मुनासिब दाम जरूर दिया जाय।

अभी पिछले महीने, पूर्वी जिलों में जहां इन दिनों कभी पत्थर नहीं पड़ा था, पत्थर पड़ा और करीब २ लाख एकड़ जमीन पर लहलहाती हुई धान और अरहर की फसल खत्म हो गयी। ऐसे वक्त में सिर्फ गन्ने की ही एक फसल रहती है और उसका दाम भी उसको कम दिया जाय तो वह जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि पूर्वी जिलों में गन्ने का मुनासिब दाम दिया जाय तो वहां के किसान इतना गन्ना दे सकते हैं, और अपनी मिलों से इतनी चीनी आप तैयार करा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो कोटा है वह पूरा ही न हो जाय, बल्कि उससे आगे भी बढ़ जाने में आपको मदद मिलेगी।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं खुश हूं कि आपने मुझे भी समय दिया। अब पहले जरा एक शेर सुन लीजिये तो बेहतर है।

"चलत धरत अपना न बने, करम को दोष धरे।"

मेरा मलतब यह है कि १५ साल में हम इतने ज्यादा आजाद हो गये जितना कभी उम्मीद नहीं थी। आज हालत यह हो गयी कि काम ठीक से तो हम कर नहीं पाते और दोष कर्मों का देते हैं गन्ने के बारे में मैं कुछ कहूं इससे पहले अकबर बादशाह का किस्सा बयान करता हूं। वह एक दफा शिकार खेलने गये। वहां जंगल में जब प्यास लगी तो एक किसान ने एक गन्ना निचोड़ कर पिलाया। वह इतना मीठा था कि उन्होंने उस पर टैक्स बांध दिया। फिर जब वह जंगल में गये और किसान से कहा कि तुम फिर मीठा गन्ना पिलाओ तो उसमें वह मिठास गायब हो चुकी थी। काश कि अंग्रेजों को आप अपना नौकर रखते तो आपकी इज्जत और हमारी हिफाजत होती। जमींदार भी न रहे, किसान भी खत्म होने जा रहा है और मैं नहीं जानता कि यह सरकार भी रहेगी या नहीं। इससे पहले कि हम दोनों ही खत्म हो जायं हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमारी चमड़ियां उधेड़कर फेंक दी जांय गन्ना किसान का कायम रहने दिया जाय। आज तो सरकार की नीयत बदल गयी है। सरकार अगर अपनी नीयत अब भी दुरुस्त कर ले तो बहुत अच्छा है। अब मैं यह चाहूंगा कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले मैं अपने मजमून को यहीं खत्म कर देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका संबंध हमारे प्रान्त के छोटे और बड़े हर व्यक्ति से है। किसानों से तो इसका विशेष संबंध है। मैं कल से ही इस विधेयक की बहस को बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं और सभी माननीय सदस्यों ने किसानों के हित का विशेष ध्यान रखा है। चाहे जिस प्रकार से आप इस पर गौर करें, सब ने एक स्वर से इस विधेयक का विरोध किया है। कई सदस्यों ने कहा है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय और बहुतों ने साफ तौर से कहा है कि इस बिल को वापिस लेना चाहिये। मैं इस राय का हूं कि इस विधेयक का इस रूप में लाना बिलकुल अनावश्यक था, इससे बजाय लाभ के हानि की सम्भावना है। प्रवर समिति में भेजने का मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसकी परिधि भी बढ़ाई जाय, ताकि अधिक से अधिक जनता का लाभ हो सके।

मैंने भी इस विधेयक को पढ़ा है। कोल्हू पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यह सही है। उन जगहों पर, जो सुरक्षित कहते हैं, जो प्रतिबन्ध लगाया है वह भी उचित नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी ने कल भी कहा था और आज भी उन्होंने कहा कि अगर १० मील के एरिया में जो सुरक्षित रखा गया है, बीच में कोई नदी पड़ती है २ मील पर भी कोई साधन किसान के लिये प्रस्तुत नहीं है कि वह कैसे अपना गन्ना मिल पर पहुंचावे, फिर तो उसके लिये गन्ना देना तो दूर, यह भी समस्या हो जायगी कि वह उसका क्या करे, क्योंकि वह गुड़ खांडसारी तो बना नहीं सकता। दूसरी बात यह भी है कि क्या मिल के लिये यह सम्भव होगा कि १० मील के एरिया के सारे गन्ने को वह पेर लेगी? हम सब जानते हैं कि २,३ वर्ष पहले बहुत-सा गन्ना किसानों को जला देना पड़ा, क्योंकि वह मिलों की पेराई की क्षमता से बाहर था। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि १० मील के एरिया का सारा गन्ना मिलें पेर लेंगी, कौन इसकी गारन्टी करेगा? सदन का कोई सम्मानित सदस्य इसका विरोध नहीं कर सकता है। यदि १५ या २० लाख टन चीनी बनाई जाय, लेकिन विरोध तो इस बात का है कि इस विधेयक द्वारा उन पर १६ नये पैसे की जगह ३२ नये पैसे कर बढ़ाये जा रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने, नवलकिशोर जी ने कहा था कि ५ दिन में प्रवर समिति अपना निर्णय दे देवें। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। ५ दिन की अवधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे इतना समय अवश्य मिलना चाहिये कि इस पर ठीक से पूरे तौर पर बहस-मुबाहिसा हो सके। ताकि इसकी त्रुटियां दूर की जा सकें। मेरा विश्वास यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जा रहा है, इसलिये मैं अधिक ब्योरे में सुझाव देना अनावश्यक समझता हूं।

इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि सरकार हमारे सुझाव को स्वीकार करेगी और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज देगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रारम्भ से ही देख रहे हैं कि इस बिल के समर्थन में किसी भी माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट नहीं किये। इसके मूल सिद्धांतों को तो प्रत्येक माननीय सदस्य ने जोरदार और तर्करूप ढंग से विरोध किया है, यह भी आपने देखा। इस स्थिति को देखते हुये अब इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय। जब मूल सिद्धांत पर ही चौतरफा हमला हुआ है, तो इस विधेयक को वापिस होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के वरिष्ठ सदस्य, माननीय राजस्व मंत्री जी, यहां विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सरकार की प्रतिष्ठा और अपनी छोटी बहन मुख्य मंत्राणी जी की प्रतिष्ठा, के लिये इस बिल को वापिस करावें। प्रदेश के अन्दर कांग्रेस में आपसी गड़बड़ चल रही है यह उसका एक खामियाजा किसान को भोगना पड़ेगा। कांग्रेस का आला कमान और उसके कतिपय सदस्य इस बात के लिये सचेष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, माननीया सुचेता जी की सरकार, इस प्रदेश में बदनाम हो जाय और जितनी जल्दी बदनाम हो उतनी ही अधिक कांग्रेस के आला कमान को प्रसन्नता होगी। इसलिये केन्द्रीय

सरकार की ओर से इस प्रकार की हरकतें करने की कोशिश हो रही है मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी की सरकार को सतर्क करना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह है कि डी० आई० आर० के मातहत आप किसानों से बेजा लाभ उठाना चाहते हैं । डी० आई० आर० इस प्रदेश में क्यों लागू किया गया ? जब इस देश पर बर्बर चीनियों का हमला हुआ तब देश की सुरक्षा के लिये इस डी० आई० आर० कानून को बनाया गया था । देश के जिन किसानों ने मोर्चे पर जान गवांई उन्हीं के ऊपर आपने इस कानून की तलवार को लटकाया है । किसानों के बच्चों ने नेफा में अपना खून बहाया । आपकी पार्टी के बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नातेदार, कौल मोच से भाग आया और उसके कुकर्मों पर पर्दा डाला गया । इस कानून को उस कौल पर लागू करना चाहिये था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया है, जापान में लाखों रुपया कमाने के लिये । यह डी० आई० आर० की तलवार उन किसानों के ऊपर लटकाई जा रही है जिनके बच्चों ने वहां पर अपनी जान गवांई । क्या यही आप देश की रक्षा के लिये कर रहे हैं ? मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेस के नेता देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं । आज कांग्रेस के अन्दर पांचवां दस्ता कम्युनिस्टों का काम कर रहा है चाहे वह मेनन के रूप में हो या मालवीय के रूप में हो, चाहे कोई और श्रीमती इन्दरा गांधी की उंगली पकड़ कर घूमता हो । कम्युनिस्ट डी० आई० आर० लगवा कर प्रदेशीय सरकार को बदनाम करना चाहते हैं ।

यह मैं मानता हूं कि आपके दल में कुछ तपे तपाये लोग हैं और यह उस बात का सबूत है कि कांग्रेस पक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है । मैं आज कांग्रेस के साथियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि उन लोगों को किसानों ने चुनकर भेजा है और उनको यह जानना चाहिये कि यह विधेयक चन्द कांग्रेसी नेताओं की साजिश से आया है । इससे किसानों के सम्मान को, उनके स्वार्थ को आघात पहुंचता है, इसलिये उन लोगों को पार्टी के बाहर निकाल फेंकिये । उससे आपकी और आपकी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ।

माननीय शिवराजसिंह जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को दृष्टिकोण में रख कर यह व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यह चीज अस्थायी है और अस्थायी चीज के लिये आप स्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे बढ़ कर अविवेकपूर्ण और क्या कदम हो सकता है ? मैं आदरणीय सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सरकार किसानों के रोष को न भड़काये । सवाया लगान समाप्त करके जो यश उसने प्राप्त किया है, उससे इस सरकार के प्रति किसानों की अच्छी धारणा हुई है, उस अच्छी धारणा को समाप्त करने की अविवेकपूर्ण कोशिश यह सरकार न करे । एक सच्चे हितैषी के नाते यह चीज मैं कहना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि कांग्रेस जमाअत प्रजातंत्र व्यवस्था में विश्वास करती है और उसमें हमारे बहुत से पुराने मित्र मौजूद हैं जो कि हमारे साथ आजादी की लड़ाई में लड़े हैं और जिन्होंने त्याग और तपस्या की है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है । मैं एक सच्चे साथी के नाते उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप इस खतरे से सावधान रहें । हमारे भाई कृष्णानन्द राय जी माननीय राजस्व मंत्री जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उनके बारे में केवल एक ही बात कहूंगा कि लखनऊ में मेल नर्स पैदा होते हैं या नहीं । यहां तो दूसरी तरह के ही लोग पैदा होते हैं, जो न पुरुष होते हैं न महिला । उन्होंने कहा कि बहराइच से मेल नर्स भिजवा दूंगा । तो क्या वहां भी ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस विधेयक पर जो विचार इस सदन में हो रहा है उन को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मैं अब निश्चय पर पहुंचा हूं कि इस बिल के पक्ष में, चाहे वह सरकारी पक्ष के लोग हों या विरोधी पक्ष के हों, कोई भी सदस्य नहीं हैं । कोई भी ऐसा सदस्य नहीं हैं कि जो यह चाहता हो कि गरीब किसानों पर यह क्रय-कर बढ़ाया जाय । मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सदन की इच्छा और विचार को समझने

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

की कोशिश करे और वह किसानों की गरीबी को देखते हुये इस को प्रेस न करे, वह ठंडे दिल से बिना संकोच के इस नतीजे पर पहुंचे कि किसानों पर ज्यादा दबाव न डाला जाय । इस कानून से किसानों की गरीबी बजाय घटने के और बढ़ जायगी ।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार आज गन्ना लेने की कोशिश करती है उसी प्रकार से सरकार को चाहिये था कि किसानों का जो बकाया मिल मालिकों के जिम्मे पड़ा हुआ है उसको भी देने के लिये मिल मालिकों को वह मजबूर करती । आज सरकार बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से मिल मालिकों को सपोर्ट करती है और गन्ने के बकाया दाम दिलाने की तरफ कोई ध्यान नहीं देती । किसानों ने अपना खून-पसीना लगा कर जो गन्ना पैदा किया है उस पैसे को ही वह न पाये, तो उत्पादन से क्या लाभ है ? चीनी मिल मालिकों पर जो लगभग २८ लाख रुपया किसानों का बाकी है यह बड़े दुख की बात है । इसकी अदायगी के लिये ठोस कदम उठाना चाहिये ।

अब मैं इस सदन का अधिक समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं और माननीय मंत्री जी ने उन विचारों को भलीभांति सुना है । मैं बड़े अदब से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सदन की भावना एवं किसानों की गरीबी को ध्यान में रखकर इस विधेयक को वापस ले लें और उन पर अब और अधिक कर भार न डालें । मैं सदन में इस के साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री जी इस चीज को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं तो विरोधी दल या कांग्रेस के सभी सदस्यों को ऐसे काले कानून को पास नहीं होने देना चाहिये । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उन सभी माननीय सदस्यों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के पक्ष में अपने भाषण दिये या सरकार से इस को वापस लेने की अपील की या जिन्होंने यह कहा कि इस बिल को जला देना चाहिये, मैं तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूं । और मैं उनका भी समर्थन करता हूं, एक आध माननीय सदस्यों का जिन्होंने सरकार की हां में हां मिलाई । ऐसे लोगों का यहां रहना जरूरी है, नहीं तो सरकार अकेली रह जाय । मैं खासतौर पर उन कांग्रेसी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिल खोल कर किसान, गुड़ और खांडसारी बनाने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिये अपने विचार व्यक्त किये । मैं माननीय बृजबिहारी मिश्र का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने माननीय नवलकिशोर जी की उस बात का खंडन किया कि ५ दिन के लिये इसको भेजा जाय । ५ महीने की बात उनको उचित मालूम होती है । जिन माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है मैं, अन्त में, उन सब को धन्यवाद देता हूं ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

श्रीमन्, कल से इस बिल पर १८, २० माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की और वही भाषण हुए जो १३ और १४ को हमने तय किया था कि गन्ने की पालिसी पर आम विवाद होगा । तो प्रायः वही बातें कही गईं । इसमें एक भ्रम रहा और यह कहा गया कि किसान का इससे बड़ा नुकसान है, वह बात मैं बाद में कहूंगा । मैंने पहले भी कहा था कि यह छोटा-सा विधेयक है, उसके कांसीक्वेंशियल चेंजेज भले ही हो जायं । एक बात यह है कि गन्ने की जो खांडसारी यूनिट्स हैं इनसे जो हम वसूल किया करते थे क्रय कर, उसको अब एक मुश्त लेना चाहते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे यह कि अभी तक दरख्वास्तों के देने का समय निर्धारित नहीं था । तो इस संशोधन के द्वारा एक निश्चित तिथि निर्धारित करने जा रहे हैं कि जिस तारीख तक जो रिन्यूअल या नया लाइसेंस लेना चाहे वह उस तिथि तक दरख्वास्त दे दे और उस बीच में ऐसे तरीके से डिप्टी केन कमिश्नर उन सारी अपीलों को सुनेंगे और लाइसेंस देने का कार्य-क्रम रहेगा कि २-३ महीने के अन्तर्गत उसको स्वीकार कर लें ताकि लोगों को चलाने का अवसर मिल सके ।

एक भ्रम यह हो गया था कि कोल्हू पर भी यह टैक्स लागू होगा । ऐसी बात नहीं है । यह टैक्स पावर क्रशर्स पर लागू होगा और रिजर्व्ड एरिया के अन्तर्गत जो मिल के हेडक्वार्टर स १० मील के रेडियस में होंगे उनको ३२ नया पैसा टैक्स देना होगा । इसके बाहर सरकार चाहे तो १६ नया पैसे तक छूट भी दे सकती है । अभी तक जो पावर क्रशर्स नाजायज तरीके से चलाते थे उन पर जुर्माना होता था । इसको भी बन्द करने के लिये एक निश्चित प्राविधान किया गया है कि ऐसे जो लोग पकड़े जायं उन पर न केवल अर्थ दंड हो बल्कि सजा भी दी जाय ।

उसके साथ कुछ और भी छोटी-मोटी धाराओं में परिवर्तन है । इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने सारी शुगर पालिसी पर, जो कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय की है, चर्चा की है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके अपने क्रशर्स हैं परन्तु वे गन्ना नहीं खरीदते हैं, क्या उनके लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जो किसानों के क्रशर्स हैं, जो पावर से चलते हैं उन सब पर लागू है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

जो लोग गन्ना खरीद कर नहीं चलाते हैं, क्या उस पर भी यह टैक्स (पर्चेज टैक्स) लागू होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह सब पर होगा सिवाय उनके जो कोल्हू से चलाते हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात यह पूछना चाहता हूं कि अगर वह किसान जब कहीं से गन्ना नहीं खरीदता, तो उस पर क्यों टैक्स लगाया जाता है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जैसा उन्होंने कहा, अगर कोई विशेष बात होगी तो उस पर विचार करके देख लेंगे, लेकिन अगर पावर क्रशर्स होगा तो वह अपने नाम पर चलायेंगे । मैं भी इस राय का हूं कि माननीय रामकिशोर जी का जो संशोधन है उसे अस्वीकार किया जाय और कल्पनार्थसिंह जी का जो संशोधन है उसमें कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३, को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९६३, तक प्रस्तुत करे । प्रवर समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं, जिन्हें मैं पढ़े देता हूं :---

श्रीमती सुचेता कृपालानी, सर्वश्री बंशीधर पांडेय, फूलसिंह, केशव गुप्त, नवलकिशोर, एच० एन० बहुगुणा, रामलाल चतुर्वेदी, शिवराजसिंह, रामरूपसिंह, रघुनाथसिंह, अब्दुल समी, कृष्णानन्द राय, गेंदासिंह, ऊदल, भानुप्रतापसिंह, हरीशकुमार गंगवार, रामअवधसिंह, राम किशोर त्रिपाठी ।

श्री उग्रसेन—

यह काला कानून है । इसको वापस ले लीजिये । इसमें सोशलिस्ट पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं है । आप लाइये । हम इससे लड़ेंगे ।

श्री गेंदासिंह—

एक नाम के लिये आग्रह है कि माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी का नाम इस सेलेक्ट कमेटी में जरूर रखा जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं श्री रघुनाथसिंह के स्थान पर उनका नाम रख दूंगा ।

श्री गेंदासिंह—

मेरा मतलब यह नहीं है । मैं तो यह नहीं चाहता हूं कि उनके स्थान पर रखा जाय । मैं तो चाहता हूं कि उनका नाम जोड़ दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल्पनाथसिंह जी, आपको अपना संशोधन संशोधित प्रस्ताव के रूप में स्वीकार है ?

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं तो यह समझता हूं कि एक महीने से कम प्रवर समिति विचार नहीं कर सकती और बजाय १८ दिसम्बर के आज की तारीख से ३० दिन उस प्रस्ताव में जोड़ दिये जायं तो अच्छा होगा ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति में भी इस विधेयक को भेजने से इसका कालापन दूर नहीं हो सकता इसलिये जैसा हमारे नेता ने कहा, मैं अपना नाम वापस लेता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने अपनी सूची में कुछ संशोधन कर दिया है । मैं सूची को फिर पढ़े देता हूं जो इस प्रकार:—श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री बंशीधर पांडेय, श्री फूलसिंह, श्री केशव गुप्त, श्री नवलकिशोर, श्री एच० एन० बहुगुणा, श्री रामलाल चतुर्वेदी, श्री शिवराजसिंह, श्री रामरूपसिंह, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, श्री अब्दुल समी, श्री जसरामसिंह, श्री कृष्णानन्द राय, श्री गेंदासिंह, श्री ऊदल, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री कल्पनाथसिंह और श्री रामकिशोर त्रिपाठी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को जनमत संग्रह हेतु ६ मास के लिये परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथसिंह के संशोधन में संशोधित संशोधन जो इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९६३ तक प्रस्तुत करे और उस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

श्रीमती सुचेता कृपालानी, सर्वश्री बंशीधर पांडेय, फूलसिंह, केशव गुप्त, नवलकिशोर, एच० एन० बहुगुणा, रामलाल चतुर्वेदी, शिवराजसिंह, रामरूपसिंह, जगदीशशरण अग्रवाल,

अब्दुल समी, जसरामसिंह, कृष्णानन्द राय, गेंदासिंह, ऊदल, भानुप्रतापसिंह, हरीशकुमार गंगवार, कल्पनाथसिंह और श्री रामकिशोर त्रिपाठी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम २०२ के अन्तर्गत में समिति का सभापति श्रीमती सुचेता कृपालानी का नाम निश्चित करता हूं ।

श्री उग्रसेन—

मुझे एक वाक्य में यह निवेदन करना है कि यह सरकार तथा इसके मंत्रिगण जो सामने बैठे हैं अपनी हठवादिता पर बिल्कुल तुले हुये हैं ।

केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग, जांच आयोग, सैम्पिल सर्वे, सब कहते हैं कि इस देश के २७ करोड़ लोग तीन आने आमदनी वाले हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की आमदनी सबसे कम है फिर यह सरकार कुछ न कर सकी । इसलिये सदन के द्वारा मैं प्रदेश के गन्ना किसानों का आह्वान करता हूं कि बगावत करके इस सरकार को उखाड़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हमारे सामने कोई काम नहीं है इसलिये हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
११ दिसम्बर, १९६३ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९४ पर)

डाक्टर—

कितने डाक्टर	किस अवधि से कार्य कर रहे हैं
एक	मार्च, १९५० से
एक	फरवरी, १९५२ से
एक	नवम्बर, १९५२ से
एक	मार्च, १९५८ से
एक	सितम्बर, १९५९ से
एक	अगस्त, १९५९ से
एक	फरवरी, १९५९ से
एक	दिसम्बर, १९५९ से
एक	अक्तूबर, १९६१ से
एक	नवम्बर, १९६१ से
चार	अप्रैल, १९६२ से
एक	अगस्त, १९६२ से
एक	सितम्बर, १९६२ से
चार	जून, १९६३ से
एक	जुलाई, १९६३ से
तीन	अगस्त, १९६३ से
एक	सितम्बर, १९६३ से
पचीस	

कम्पाउन्डर—

कितने कंपाउंडर	किस अवधि से कार्य कर रहे हैं
एक	दिसम्बर, १९३० से
एक	अप्रैल, १९४९ से
दो	सितम्बर, १९४९ से
एक	अप्रैल, १९५० से
एक	मई, १९५२ से
एक	जून, १९५२ से
एक	अक्तूबर, १९५२ से
एक	दिसम्बर, १९५३ से
एक	जनवरी, १९५६ से
एक	अगस्त, १९५९ से
एक	सितम्बर, १९५९ से
एक	जुलाई, १९६० से
एक	अगस्त, १९६० से
एक	फरवरी, १९६२ से
एक	अप्रैल, १९६२ से
दो	ये दोनों कम्पाउन्डर मिलिटरी सेवा में डेपुटेशन पर हैं।
अठारह	

नर्सें—

कितनी नर्सें	किस अवधि से कार्य कर रही हैं
एक	दिसम्बर, १९४७ से
एक	जून, १९४९ से
एक	अप्रैल, १९५० से
एक	मई, १९५१ से
एक	जून, १९५१ से
एक	मई, १९५४ से
एक	नवम्बर, १९५५ से
एक	मई, १९५७ से
एक	जनवरी, १९५८ से
एक	फरवरी, १९५८ से
एक	सितम्बर, १९५८ से
तीन	अप्रैल, १९५९ से
एक	अगस्त, १९५९ से
तीन	अक्तूबर, १९५९ से
एक	अक्तूबर, १९६० से
एक	जनवरी, १९६१ से
दो	अप्रैल, १९६१ से
दो	जनवरी, १९६२ से
एक	मार्च, १९६२ से
एक	अप्रैल, १९६२
एक	सितम्बर, १९६२ से
एक	दिसम्बर, १९६२ से
दो	मार्च, १९६३ से
तीस	

डा० दयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

No. 2452-B/IX—863-1951

FROM

SRI I. D. N. SAHI, I.C.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, September 16, 1954

Subject—**Representation of members of the Scheduled Castes in posts and services under the local bodies.**

SIR,

L. S.G. DEPTT.

I AM directed to say that prior to the adoption of the Constitution of India, the Scheduled Castes were allowed a general reservation of 10 per cent in posts and services under the control of the State Government, in accordance with the policy of the Government of allowing communal representation in services. The Constitution, while doing away with special representation for others, provided for reservation of appointments for backward classes of citizens and laid down specifically that claims of members of Scheduled Castes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in making appointments to services and posts. In the year 1950, therefore, after the adoption of the Constitution of India, the State Government cancelled all their previous orders regarding communal representation and, in pursuance of the povision of clause (4) of Article 16 and of Article 335 of the Constitution, decided that, consistently with the maintenance of efficiency of administration—

(i) the interest of the backward classes shall, in general, be borne in mind in making appointments, and

(ii) there shall be a general reservation of 10 per cent of the vacancies to be filled by direct recruitment for members of the Scheduled Castes in making appointments to services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh ; provided that if any one year candidates of the Scheduled Castes fail to be recruited to any service or establishment to the extent of 10 per cent., the deficiency shall be made good in the recruitment to the service or establishment concerned in the following year ; and provided further that the reservation on account of the deficiency shall not be carried forward for more than one year.

2. This policy was extended to services and posts under the control of all the local bodies and circular instructions were issued in G. O. no. E-30/IX—863-51, dated July 23, 1952.

3. The State Government have had occasion recently to review the entire position on the subject, when it was felt that, inspite of the efforts that had been made in the past, the Scheduled Castes, who, according to the 1951 Census, constituted about 18 per cent of the total population of this State, were not adequately represented in the public services of the State. With a view to improve the present position, the State Government have decided, *vide* Appointment Department G. O. no. 2328/II-B—104-52, dated September 22, 1953 to increase the general reservation in favour of the Scheduled Castes, in respect of vacancies in services and posts connected with the affairs of the State and filled by direct recruitment, from 10 per cent to 18 per cent., so as to bring it in accord with the present population ratio. The population of Scheduled Castes is, however, not evenly distributed over all the local areas comprising the jurisdiction of the different local bodies. Any general reservation at the flat rate of 18 per cent., as has been decided by the Government in the case of services and posts under its administrative control, might, if made applicable uniformly to services and posts under the control of the local bodies, cause dissatisfaction in the areas where the percentage of the population of the Scheduled Castes is either very much less or very much greater. Government consider that this difficulty can be met if each local body, while making appointments to vacancies in its services and posts filled by direct recruitment, duly bears in mind the claims of qualified candidates from the Scheduled Castes, with a view as far as possible, to secure such appointments to them upto the percentage that the population of the Scheduled Castes, on the basis of the 1951 Census, actually bears to the total population of the area included within the jurisdiction of the local body concerned.

4. The State Government attach very great importance to the necessity of assisting members of the Scheduled Castes in securing their due representation in the public services, and consider that every effort must continue to be made to ensure that of the vacancies filled by direct recruitment in the services and posts under local bodies, an appropriate percentage, as calculated in accordance with the principle set out in paragraph 3 above, should be made available to the members of the Scheduled Castes who, subject to the fulfilment of the minimum qualifications and other conditions mentioned in paragraph 1 above, should be appointed against such vacancies. The Governor trusts that the local bodies in the State will fall in line with the Government policy in this respect, and to this end I am to request that the local bodies in your district should be advised to act accordingly.

5. The rules referred to in the circular Government Order of July 23, 1952, referred to above, which have now become inconsistent with the present position will be rescinded.

Yours faithfully,
I. D. N. SAHI,
Secretary.

No. 2452-B(1)/IX—863-51

COPY forwarded for information to—

(i) All Commissioners of Divisions ;
(ii) Joint Director, Panchayat Raj, Uttar Pradesh ;
(iii) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh ;

(iv) The Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department, U. P.
(v) The Town and Village Planner, U. P.,
(vi) The Examiner, Local Fund Accounts, U. P., and
(vii) All departments of the Secretariat.

No. 2452-B(2)/IX—863-51

COPY also forwarded for information and necessary action to—

(i) All Presidents and Administrator, District Boards, Uttar Pradesh, including the Sub-Board, Bhadohi ;
(ii) All Presidents and Administrators, Municipal Boards, Uttar Pradesh ;
(iii) All Presidents, Notified Area Committees, U. P.
(iv) All Chairmen, Town Area Committees, U. P.
(v) All Administrators, Improvement Trusts, U. P.
(vi) The Administrator, Development Board, Kanpur.

By order,
H. L. BHARGAVA,
Under Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८--४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

(क) तारांकित प्रश्न संख्या ३८ की संबंधित सूचना

क्रांमक	नाम विकास खंड	नाम सहायक विकास अधिकारी जिसकी सेवा पुस्तिका विकास खंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है	सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने का कारण
१	घाटमपुर ..	(१) श्री अतरसिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी (कृषि)।	सेवा पुस्तिका कुछ आवश्यक अंकन हेतु खंड विकास अधिकारी, ककवन (कानपुर) के पास भेजी गई है।
		(२) श्री जवाहरलाल सत्यार्थी, स० वि० अ० (सह०)	सेवा पुस्तिका निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास उनके आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई हैं।
		(३) श्री प्यारेलाल निम्न, स० वि० अ० (पंचायत)	सेवा पुस्तिका विकास खण्ड, डेरापुर (कानपुर) से प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र विकास अधिकारी, डेरापुर को भी निम्न की सेवा पुस्तिका तुरन्त भेजने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।
२	चौबेपुर ..	(१) श्री बल्देवप्रसाद उपाध्याय, स० वि० अ० (सह०)	पत्र व्योहार करने के बावजूद भी सेवा पुस्तिका विकास खंड, मदौहा (हमीरपुर) से अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।
३	शिवराजपुर ..	(१) श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता, स० वि० अ० (पंचायत)	सेवा पुस्तिका खो गई है तथा दूसरी बनाई जा रही है।
४	खरखौद ..	(१) श्री रमेशचन्द्र सक्सेना, स० वि० अ० (पंचायत)	पत्र व्योहार करने के बावजूद भी सेवा पुस्तिका जिला पंचायत अधिकारी, सीतापुर से अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।
५	राजपुर ..	(१) श्री सुरेशचन्द्र सक्सेना, स० वि० अ० (पंचायत)	सेवा पुस्तिका जिला पंचायत अधिकारी, एटा से अभी नहीं प्राप्त हुई है।

६	मलासा ..	(१) श्री प्रमोदकुमार मिश्रा, स० वि० अ० (पशुपालन)	सेवा पुस्तिका विकास खण्ड, डेरापुर (कानपुर) से प्राप्त नहीं हुई है। कथित सेवा पुस्तिका क्षेत्र विकास अधिकारी, मलासा को तुरन्त भेजने हेतु क्षेत्र विकास अधिकारी, डेरापुर को लिख दिया गया है।
७	डेरापुर ..	(१) श्री भरतऔतार दीक्षित, स० वि० अ० (कृषि)	श्री दीक्षित ने माह अगस्त में जिला रायबरेली से स्थानान्तरित होकर विकास खण्ड, डेरापुर (कानपुर) में कार्य भार ग्रहण किया परन्तु उनकी सेवा पुस्तिका अभी प्राप्त नहीं हुई है।

रामर्मूति,
विकास मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ख) तारांकित प्रश्न संख्या ३९ से संबंधित सूचना

क्रमांक	सहायक विकास अधिकारी जिनका मासिक वेतन भुगतान हेतु अब तक बाकी पड़ा है।	भुगतान न होने का कारण
१	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), घाटमपुर।	शीघ्रातिशीघ्र वेतन भुगतान करने के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्र विकास अधिकारी, डेरापुर का स्पष्टीकरण मांगा गया है।
२	सहायक विकास अधिकारी (महिला), चौबेपुर।	ये इस अवधि में अवकाश पर रहीं। अवकाश की स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण वेतन का भुगतान अभी नहीं हो पाया है।
३	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), अमरोधा।	कारण ज्ञात नहीं है। जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव से वेतन भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।
४	सहायक विकास अधिकारी (महिला), डेरापुर।	ये अवकाश पर रही थीं। अब अवकाश स्वीकृत हो चुका है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

रामपूर्ति,
विकास मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ग) तारांकित प्रश्न संख्या ४० से संबंधित सूचना

क्रमांक	सहायक विकास अधिकारी जिनकी वेतन वृद्धि का रुपया देना शेष है	भुगतान न होने के कारण
१	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), मेथा।	दक्षता रोक (Efficiency bar) की स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण।
२	सहायक विकास अधिकारी (सह०), अकबरपुर।	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, हमीरपुर से सेवा पुस्तिका प्राप्त न हो सकने के कारण वेतन वृद्धि का रुपया भुगतान न किया जा सका। अब सेवा पुस्तिका प्राप्त हो गई है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
३	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), घाटमपुर।	इस सम्बन्ध में क्षेत्र विकास अधिकारी, डेरापुर से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा वेतन वृद्धि का रुपया शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।
४	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), चौबेपुर।	विभागीय परीक्षा पास न कर सकने के कारण वेतन वृद्धि की स्वीकृति रुकी हुई है।
५	सहायक विकास अधिकारी (पशु०), चौबेपुर।	१-७-६३ से १५-९-६३ तक श्री कटियार अवकाश पर रहे। जो अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। इस लिये वेतन नहीं बढ़ाया जा सका।

रामम्रूति,
विकास मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८–४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

वाराणसी जिले के राजकीय जच्चा-बच्चा केन्द्र अलग-अलग विकास खंडों में निम्नलिखित हैं

विकास खंडों के नाम	जच्चा-बच्चा केन्द्रों की संख्या	विकास खंडों के नाम	जच्चा-बच्चा केन्द्रों की संख्या
१—काशी विद्यापीठ ..	४	१०—बड़ा गांव ..	३
२—औराई ..	४	११—नियामताबाद ..	५
३—आराजी लाइन ..	७	१२—भदौही ..	१
४—ज्ञानपुर ..	६	१३—सेवापुरी ..	१
५—चंदौली ..	४	१४—बरहनी ..	१
६—चकिया ..	६	१५—सरियावा ..	१
७—चिरईगांव ..	५	१६—नौगढ़ ..	१
८—पिन्डारा ..	४	१७—हरहुआ ..	१
९—चहनिया ..	४	कुल ..	५८

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८—७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१०—६११ पर)

टी० बी० संस्थाओं की सूची

संस्थाओं के नाम	सरकारी या गैर-सरकारी	शय्याओं की संख्या
१	२	३
१—के० ई० ७ सेनेटोरियम, भुवाली, जिला नैनीताल ..	सरकारी	३४८
२—टी० बी० सेनेटोरियम, गेठिया, जिला नैनीताल ..	,,	११०
३—ए० एन० एम० टी० बी० सेनेटोरियम, फिरोजाबाद, जिला आगरा।	,,	९६
४—टी० बी० अस्पताल, इलाहाबाद ..	,,	४५
५—टी० बी० अस्पताल, इटावा	,,	२८
६—टी० बी० अस्पताल, हाथरस, जिला अलीगढ़ ..	,,	२५
७—टी० बी० अस्पताल, जिला कारागार, सुल्तानपुर	,,	११८
८—टी० बी० अस्पताल, पिथौरागढ़ ..	,,	४०
९—श्री बृज सेवा समिति टी० बी० सेनेटोरियम, बृन्दावन, जिला मथुरा।	गैर-सरकारी	२९६
१०—कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक और अस्पताल, लखनऊ	,,	१००
११—टी० बी अस्पताल, बस्ती	,,	१९
१२—श्री सरस्वती टी० बी० अस्पताल, मथुरा ..	,,	८०
टी०बी० वार्ड्स		
१—जिला अस्पताल, अलीगढ़	सरकारी	१२
२—जिला अस्पताल, बदायूं	,,	३०
३—जिला अस्पताल, बिजनौर	,,	६
४—जिला अस्पताल, फतेहपुर	,,	१२
५—जिला अस्पताल, मुरादाबाद	,,	१०
६—जिला अस्पताल, मैनपुरी	,,	३
७—जिला अस्पताल, सहारनपुर	,,	२०
८—जिला अस्पताल, राय बरेली	,,	३४
९—जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर	,,	८
१०—जिला अस्पताल, मिर्जापुर	,,	४
११—जिला अस्पताल, सीतापुर	,,	६

संस्थाओं के नाम	सरकारी या गैर-सरकारी	शय्याओं की संख्या
१	२	३
१२—जिला अस्पताल, पौड़ी-गढ़वाल ..	सरकारी	८
१३—लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर ..	,,	२२
१४—एस० एन० अस्पताल, आगरा	,,	२०
१५—लावेट्टू अस्पताल, रामनगर, वाराणसी ..	,,	१८
१६—आई० डी० अस्पताल, कानपुर	,,	४६
१७—आई० डी० अस्पताल, फैजाबाद	,,	४
१८—पी० एन० शर्मा अस्पताल, मेरठ ..	,,	२०
१९—दुग्गड्डा डिस्पेन्सरी, पौड़ी गढ़वाल ..	,,	४
२०—कोटद्वारा डिस्पेन्सरी, पौड़ी-गढ़वाल ..	,,	४
२१—मिसन अस्पताल, फतेहगढ़	गैर-सरकारी	५०
२२—क्लारा स्वेन अस्पताल, बरेली	,,	७२

स्थापित किये जाने का वर्ष	टी० बी० क्लीनिक्स्	सरकारी या गैर-सरकारी	शय्याओं की संख्या
१	२	३	४
१९५७-५८ ..	१—टी० बी० क्लीनिक्स्, वाराणसी ..	सरकारी	
	२— ,, ,, जौनपुर ..	,,	
	३— ,, ,, गोरखपुर ..	,,	
	४— ,, ,, गाजियाबाद	,,	
१९५८-५९ ..	५— ,, ,, बहराइच ..	,,	
	६— ,, ,, बस्ती ..	,,	
	७— ,, ,, देवरिया ..	,,	
	८— ,, ,, बरेली ..	,,	
	९— ,, ,, मेरठ ..	,,	
१९५९-६० ..	१०— ,, ,, अलीगढ़	,,	
	११— ,, ,, रायबरेली	,,	
	१२— ,, ,, सीतापुर	,,	
	१३— ,, ,, सहारनपुर	,,	
	१४— ,, ,, गाजीपुर ..	,,	

स्थापित किये जाने का वर्ष	टी० बी० क्लीनिक्स्	सरकारी या गैर-सरकारी	शय्याओं की संख्या
१	२	३	४
१९६०–६१ ..	१५—टी० बी० क्लीनिक्स्, अल्मोड़ा	सरकारी	
	१६— ,, ,, खीरी ..	,,	
	१७— ,, ,, कानपुर ..	,,	
	१८— ,, ,, फतेहगढ़	,,	
	१९— ,, ,, झांसी	,,	
	२०— ,, ,, इलाहाबाद	,,	
	२१— ,, ,, रामपुर ..	,,	
	२२— ,, ,, मिर्जापुर	,,	
	२३— ,, ,, फैजाबाद ..	,,	
१९६२–६३ ..	२४— ,, ,, टेहरी गढ़वाल	,,	
	२५— ,, ,, शाहजहांपुर	,,	
	२६— ,, ,, देहरादून ..	,,	
	२७— ,, ,, मथुरा ..	,,	
	२८— ,, ,, फिरोजाबाद	,,	
	२९— ,, ,, लखनऊ ..	,,	
साधारण तरह के टी० बी० क्लीनिक्स			
	३०—टी० बी० क्लीनिक, इलाहाबाद	,,	
	३१— ,, ,, वाराणसी	,,	
	३२— ,, ,, देहरादून ..	,,	
	३३— ,, ,, मथुरा ..	,,	
	३४— ,, ,, मजदूरों के लिये, कानपुर।	,,	४
	३५— ,, ,, मजदूरों के लिये, बुलन्दशहर।	,,	२३
	३६— ,, ,, मजदूरों के लिये, भुवाली।	,,	
	३७— ,, ,, मजदूरों के लिए, मुरादाबाद।	गैर-सरकारी	
	३८— ,, ,, मजदूरों के लिये, कानपुर।	,,	
	३९—केन्द्रीय टी० बी० क्लीनिक, कानपुर।	,,	४०

विधान सभा

स्थापित किये जाने का वर्ष	टी० बी० क्लीनिक्स	सरकारी या गैर-सरकारी	शय्याओं की संख्या
१	२	३	३
१९६२-६३	४०---केन्द्रीय टी० बी० क्लीनिक अमरोहा, मुरादाबाद	गैर-सरकारी	६
	४१— ,, ,, हरदोई ..	,,	६
	४२— ,, ,, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय ।	,,	

टी० बी० आइसोलेशन बेड्स की संख्या

१—टी० बी० आइसोलेशन अस्पताल, बस्ती		सरकारी	५०
२—	,, ,, हरद्वार	,,	५०
३—	,, ,, कानपुर	,,	५०
४—	,, ,, मिर्जापुर	,,	५०
५—	,, ,, बृन्दावन	,,	५०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१२ पर)

१—मेसर्स स्टैन्डर्ड एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कं०, लुधियाना, पंजाब ।

२—मेसर्स भारतीय इन्डस्ट्रीज, सिनेमा रोड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।

३—मेसर्स देवबन्द इन्डस्ट्रीज, इन्डस्ट्रीज स्टेट, देवबन्द, जिला सहारनपुर ।

४—मेसर्स जय इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, आर्यनगर, सीतापुर ।

५—मेसर्स नैयर एन्ड को० (रजिस्टर्ड), रेलवे रोड, काशीपुर, नैनीताल (उत्तर प्रदेश) ।

६—मेसर्स जय इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, ११८/२५, कौशलपुरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।

७—मेसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स, वि० लक्ष्मी नगर, सीतापुर ।

कृषि प्रतिष्ठानों की सूची

१—मेसर्स इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज, १८, स्टैन्डर्ड रोड, कलकत्ता ।

२—मेसर्स टाटा, किसन, नई दिल्ली ।

३—मेसर्स भारत पलवरिंग मिल्स, बम्बई ।

४—मेसर्स बर्मा सेल, नई दिल्ली ।

५—मेसर्स भारत केमिकल इन्डस्ट्रीज, सुतरखाना, कानपुर ।

६—मेसर्स पी० के० जावेरी एन्ड को०, ३२, प्रिंस स्ट्रीट, बम्बई–२ ।

७—मेसर्स मोइनवी क्राप, १० अशोक मार्ग, लखनऊ ।

८—मेसर्स शर्मा ब्रदर्स एन्ड को०, ऐशबाग, लखनऊ ।

९—मेसर्स अमेरिकन स्प्रिंग ऐन्ड प्रेसिंग वर्क्स, बम्बई ।

१०—मेसर्स सुदर्शन लाल बाजपेई, कानपुर ।

११—मेसर्स मेटल इन्डस्ट्रीज, फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर ।

१२—मेसर्स कौशल एन्ड को०, चुन्नीगंज, दिमाल, कानपुर ।

कृषि औजारों के प्रतिष्ठानों की सूची

१—मेसर्स राज इन्जीनियरिंग वर्क्स (प्रा० लि०), स्टेशनरोड, सीतापुर ।

२—मेसर्स मार्डर्न आयरन वर्क्स, काशीपुर, जिला नैनीताल ।

३—मेसर्स मेटल इन्डस्ट्रीज, फैक्टरी एरिया, फजलगंज, कानपुर ।

४—मेसर्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी, नैनी, जिला इलाहाबाद ।

५—मेसर्स गांधी आश्रम, वाराणसी ।

६—मेसर्स गांधी सेवा सदन, आसफपुर, बदायूं ।

७—मेसर्स शारदा इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर ।

८—मेसर्स कौशल एन्ड को०, चुन्नीगंज, दि माल, कानपुर ।

९—मेसर्स वासर राइट मेन्युफैक्चरिंग को०, बरेली ।

१०—मेसर्स बी० सी० एम० क्राफलिन एन्ड को०, बरेली ।

११—मेसर्स डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, सरना रोड, मेरठ ।

१२—मेसर्स साइंटिफिक एजेन्सीज, १५, जहांगीराबाद मैसन, हजरतगंज, लखनऊ ।

१३—मेसर्स वोलटेज लिमिटेड, एग्रीकल्चर डिवीजन, नई दिल्ली, १५ ।

१४—मेसर्स मित्तल इन्जीनियरिंग वर्क्स, बागपत रोड, मेरठ ।

१५—बापू कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सूरत ।

१६—दि सिविल इन्जीनियरिंग को०, करोलबाग, दिल्ली ।

१७—इन्टरनेशनल टूल्स इन्डस्ट्री, ८१, शाहाबाद गेट, रामपुर (गार्डेनिंग टूल्स मैन्युफैक्चरर्स) ।

१८—न्यू अशोका इंजीनियरिंग वर्क्स, १२३/३६५, फैक्ट्री एरिया, कानपुर ।

१९—एग्रीकल्चरल इम्प्लिमेन्ट इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, स्टेशन रोड, सीतापुर ।

२०—एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग गवर्नमेन्ट एग्रीकल्चरल, ताल कटोरा वर्कशाप, लखनऊ ।

२१—मेसर्स श्री गंगा रोलिंग मिल्स, बी०—६, उद्योग नगर (इन्डस्ट्रियल स्पेट), नैनी, इलाहाबाद ।

२२—मेसर्स यूनाइटेड प्राविन्सेज कामर्शियल कारपोरेशन (प्रा०) लि०, १८, अशोक-मार्ग, लखनऊ ।

२३—मेसर्स ए० जी० ट्रेडिंग कारपोरेशन, अम्बाला रोड, सहारनपुर ।

२४—मेसर्स स्वदेशी कृषि यंत्र उद्योग, ८०/७१ गंगा आयल मिल, कूपरगंज, कानपुर ।

२५—मेसर्स स्वास्तिक आइरन फाउन्डरी एंड स्टील वर्क्स, १०४/३०९, रामबाग, कानपुर।

२६—मेसर्स दी हिन्दू एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स वर्क्स एन्ड को०, सिनेमा रोड, गोरखपुर ।

२७—मेसर्स नारद इन्डस्ट्रीज, स्टेशन रोड, सीतापुर ।

२८—मेसर्स श्री भगवती इन्डस्ट्रीज, ५५/१०८, जनरलगंज, कानपुर ।

२९—मेसर्स किसान इन्डस्ट्रीज, भरथना, जिला इटावा ।

३०—मेसर्स नवभारत उद्योग, जैन कालेज के पास, सेखड़ा (मेरठ) ।

उर्वरक प्रतिष्ठानों की सूची

१—मेसर्स रैलीज इन्डिया लिमिटेड, २१, रावेलिन स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई ।

२—आई० सी० आई० इन्डिया प्रा० लि०, १८, स्टैन्डर्ड रोड, कलकत्ता—१ ।

३—इन्डियन पोटास सप्लाई एजेन्सी, लिमिटेड, पो० बाक्स १७१, नई दिल्ली ।

४—देवी दयाल (सेल्स) प्राइवेट लिमिटेड, रैई रोड, दारूखाना, बम्बई ।

५—अशोका मार्केटिंग लिमिटेड, पोस्ट बाक्स ११४, सेनपुरा, वाराणसी ।

६—जे० के० आयल मिल्स को० लिमिटेड, कोपरगंज, कानपुर ।

७—टी० सी० एम० केमिकल वर्क्स, दिल्ली ।

८—हिन्दुस्तान बोन मिल्स, मुरादाबाद ।

९—यूनिवर्सल ट्रेडर्स, कानपुर ।

१०—हापुड़ बोन मिल्स, हापुड़, मेरठ ।

११—गोरखपुर एण्ड को०, कानपुर ।

१२—मार्डर्न कोआपरेटिव फार्म लि०, कानपुर ।

१३—बर्मा शेल, नई दिल्ली ।

१४—मेसर्स मानिकलाल हरीलाल पारिख, नयागंज, कानपुर ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१३ पर)

क्रम-संख्या	सामान का नाम	(फर्म का नाम, जहां से क्रय किया)	मूल्य
१	२	३	४
			रु०
१	कृषि औजार, पैडल ११, टूथ थैरो	कौशल ऐड कं०, कानपुर	९६५.००
२	अमोनियम सल्फेट खाद, २७३ कि० ग्रा० ।	डी० सी० एफ, फूलपुर, आजमगढ़ ।	१००.००
३	१२ प्रति कृषि एवं पशुपालन का वार्षिक चन्दा ।	टेक्निकल आफिसर ब्यूरो आफ एक्सटेन्सन इंडेक्सन एन्ड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	१००.००
४	कृषि यंत्र, पैडी थ्रेसर (१) ..	डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फे०, मेरठ ।	१६६.५०
५	कृषक बाड़ी रवि स्पेशल अंक, ४० प्रति का मूल्य ।	उ० प्र० कृषक समाज, लखनऊ	२०.००
६	कृषक बाड़ी खरीफ स्पेशल ..	,, ,,	२०.००
७	कृषि यंत्रों का ट्रांसपोर्ट चार्ज ..	,, ,,	१.०३
८	इवीड मेज टाइप १ एवं १०१, १५ पौंड एवं १०६ पौंड ।	कृषि बीज भंडार, कृषि भंडार, उत्तर प्रदेश, फूलपुर ।	१६.९०
९	कृषि यंत्र पत्र प्रजा हल ४, सिंह टाइप साइकिल बिनोवर १ पैडी थ्रेसर १ ।	डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फे०, मेरठ ।	४८५.७५
१०	चार्ट पोस्टर फसलों के रोगों के ४२ सेट ।	नेशनल आइडियो विजुअल ऐन्ड कोआपरेशन, देहली ।	१२४.९२
११	कृषि यंत्र मास्टर सीड ड्रिल १ ..	साइन्टिफिक एजेन्सी, हजरत गंज, लखनऊ ।	२०८.५०
१२	पौलीथीन बैग का मूल्य ..	बीज भंडार कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश फूलपुर, आगमजढ़ ।	४०.९२
		योग ..	२,२४९.४२

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

List of Block Development Officer, 'Special Grade' approved for permanent and officiating appointments

	Name	Order in the merit list	Order or seniority in the Gradation list
1.	Sri H. C. Seth	2	4
2.	„ V. N. P. Singh	4	2
3.	„ B. M. Pande	3	3
4.	„ Shanker Ram	9	4
5.	„ B. M. Vashney	10	5
6.	„ Laxmi Narain	1	6
7.	„ T. C. Pande	5	11
8.	„ K. S. Pangtey	11	14
9.	„ C. S. Sirohi	7	36
10.	„ Amar Nath Singh	12	109
11.	„ Ram Shanker Singh	14	50
12.	„ R. P. Gupta	17	68
13.	„ Ram Dhani Singh	18	42
14.	„ R. N. Kwatra	19	47
15.	„ R. S. Rawat	20	133
16	„ Yadunandan Misra..	21	28
17.	„ Arjun Rai	22	38
18.	„ Baljor Singh	23	80
19.	„ Sobh Nath Singh	24	87
20.	„ J. C. Budhraja	25	92
21.	„ B. C. Dhondhial	26	29
22.	„ Ram Saran Lal	27	37
23.	„ M. L. Shukla	28	71
24.	„ S. P. Singh Visen	29	77
25.	„ S. B. Tripathi	30	15
26.	„ Promod Kumar	31	93
27.	„ M. J. Hasan	32	169
28.	„ B. P. Singh	33	27
29.	„ Y. P. Upadhyaya	34	34
30.	„ B. R. Verma	35	48
31.	„ Ram Naresh Singh	36	49
32.	„ Ram Singh Pal	37	57
33.	„ V. G. Rale	38	152
34.	„ Daulat Singh	39	177
35.	„ Mahavir Singh Tyagi	40	72
36.	„ K. P. Srivastava	41	134
37.	„ S. K. Lala	43	23
38.	„ Ram Pal Singh	44	41
39.	„ B. P. Chaturvedi	45	—44
40.	„ Brahm Prakash	46	82

	Name	Order in the merit list	Order or seniority in the Gradation list
41.	Sri Shiv Murti Singh	47	105
42.	„ J. C. Verma	48	135
43.	„ Chauharja Singh	50	171-A
44.	„ D. S. Gahlaut	51	43
45.	„ K. K. Misra	52	52
46.	„ V. D. Sharma	53	83
47.	„ S. P. Singh	54	137
48.	„ Jharkhande Tripathi	55	185
49.	„ S. C. Sinha	56	9
50.	„ D. D. Sharma	57	10
51.	„ Bodh Nath Singh	58	81
52.	„ Prem Singh	59	85
53.	„ T. N. Dwivedi	60	113
54.	„ K. C. Pande	62	12
55.	„ S. P. Singh	63	22
56.	„ Ajab Singh	64	30
57.	„ M. C. Pande	65	32
58.	„ S. L. Rore	66	108
59.	„ M. C. Joshi	67	155
60.	„ V. M. Dube	68	184
61.	„ S. S. Sharma	69	17
62.	„ P. L. Vacher	70	21
63.	„ Narendra Rai	71	46
64.	„ Ram Rich Pal Singh Yadav	72	54
65.	„ P. D. Khanduri	73	56
66.	„ Ram Lakhan Singh	74	63
67.	„ S. P. Kaushik	75	64
68.	„ T. P. N. Singh	76	84
69.	„ D. C. Singh	77	97
70.	„ Jagdish Saran Dixit	78	126
71.	„ K. P. Singh	79	131
72.	„ P. N. Jain	80	151
73.	„ J. N. S. Tyagi	81	168
74.	„ A. K. Mathur	82	170
75.	„ Hari Krishan	83	187
76.	„ Hari Mohan Saxena	84	25
77.	„ Ram Niwas Misra	85	35
78.	„ Hari Pratap Singh	86	55
79.	„ Bans Ropan Singh	87	65
80.	„ B. B. L. Agarwal	88	79
81.	„ Ilam Singh	89	95
82.	„ Hardeo Narain Sharma	90	100
83.	„ S. N. Joshi	92	116
84.	„ S. P. Pande	93	117
85.	„ S. P. Tripathi	94	118
86.	„ D. S. Gupta	95	154

	Name	Order in the merit list	Order of seniority in the Gradation list
87.	„ B. D. Misra	96	162
88.	„ Ram Pal Rastogi	97	194
89.	„ Kashi Nath Srivastava	98	199
90.	„ Shatrughun Sharma	99	212
91.	„ S. S. Tiwari	100	91
92.	„ Bhagwati Prasad Singh	101	180
93.	„ N. N. Chaturvedi	102	188
94.	„ B. S. Chauhan	103	203
95.	„ P. S. Negi	104	20
96.	„ P. L. Sharma	105	40
97.	„ M. P. Gairola	106	53
98.	„ I. N. R. Pande	107	104
99.	„ Prem Narain Misra	108	107
100.	„ P. N. Bhargava	109	132
101.	„ Ram Din Yadav	110	138
102.	„ Ram Nagina Singh	111	141
103.	„ R. S. Rathore	112	158
104.	„ Harish Chandra Tyagi	113	205
105.	„ Pokhar Singh Sisodia	114	209
106.	„ Paras Nath Singh	115	215-A
107.	„ Hari Prasad Verma	116	225
108.	„ Ramesh Chandra Dhawan	117	234
109.	„ Shanker Lal	118	235

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

सुकरौली ब्लाक, जिला देवरिया में सिंचाई के कुओं के लिये १९६१–६२ और १९६२–६३ में दिये गये ऋण का विवरण

व्यक्तियों के नाम जिनको सिंचाई कूप निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत हुआ	धनराशि जो दी गई	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
	(वर्ष १९६१–६२)			
१—श्री गजराय पांडेय, पिथरा दुमेल ।	५००.००	..	अपूर्ण	बनाने का वादा कर रहे हैं ।
२—श्री मुनारिका ,,	२५०.००	..	..	..
३—बुद्यू ,, विशनपुरकैथ-वलिया ।	४००.००	पूर्ण	..	,,
४—श्री जोगी सिंह, पड़ेरा	४००.००	,,	..	,,
५—श्री दौलत राम पिपरा उर्फ तिलिहा ।	४००.००	..	अपूर्ण	बनाने का वादा कर रहे हैं ।
६—श्री कसिम मिया मोती पायकुल बिलसड़ा ।	४००.००	..	..	करीब करीब पूर्ण है ।
७—श्री तिलोक ,, तितिला ।	२००.००	पूर्ण	..	..
८—श्री लालविहारीसिंह, महूलिया ।	४००.००	..	अपूर्ण	रिकवरी आर्डर भेज दिया गया ।
९—मसीरुकुराजी देवी, देवसडा	५००.००	..	..	,,
१०—श्री रांमरेखासिंह, अगरा बेजर ।	३४०.००	..	..	बनाने का वादा कर रहे हैं ।
११—जगदेव सिंह ..	३४०.००	..	..	,,
१२—बिजल लोहमर	२४०.००	..	..	,,
१३—चिरकुट ,, पिपरहिया	५००.००	,,	..	,,
१४—राम चन्द्र उपाध्याय, बहुआ	५००.००	..	..	,,
१४—कन्हई व बंशी, मोती पड़वा, बिलसड़ा ।	४३०.००	..	..	,,
योग ..	६,३००.००			

व्यक्तियों के नाम जिनको सिंचाई कूप निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत हुआ	धनराशि जो दी गई	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
वर्ष (१९६२-६३)				
१—श्री विन्ध्याचल ओझा, महुई	३५०.००	..	अपूर्ण	मिस्त्री आर्डर भेज दिया गया है।
२—श्री श्याम लाल ..	४००.००	..	..	बनाने का वादा कर रहे हैं।
३—श्री धर्मदास लोहगार ..	७००.००	..	..	,,
४—दुर्गा पाण्डेय बेलवा बुजुर्ग	३५०.००	पूर्ण	..	,,
५—श्री माहेश्वरी, सितलिया	७००.००	..	अपूर्ण	बनाने का वादा कर रहे हैं।
६—श्री बदरी तिवारी, मडेरा ..	३००.००	..	..	बन रहा है।
७—श्री त्रिभुवन शुक्ला, बन्दुआर	५००.००	पूर्ण	..	,,
८—श्री राम लखन सिंह, सब्जाली	४००.००	..	..	
९—श्री तिलक धारी तिवारी, मुड़ेरा।	५००.००	..	..	,,
१०—राम प्रसाद तिवारी मुडेरा	५००.००	..	..	,,
११—श्री विश्राम तिवारी, सेन्कुमार	६००.००	..	..	,,
१२—श्री राम प्रसाद सुमडाडार	७००.००	..	अपूर्ण	बनाने का वादा कर रहे हैं।
१३—नसीम, मुड़ेरा ..	७००.००	पूर्ण	..	,,
१४—राम लाल, सखोली	४००.००	..	..	,,
१५—मुनेशर, मुड़ेरा ..	७००.००	..	..	,,
१६—स्वामीनाथ, माहुनड गोपाल।	६००.००		अपूर्ण	बनाने का वादा कर रहे हैं।
१७—पतरू यादव, गोड़वा खुर्द	१,०००.००	..	अपूर्ण	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

सन् १९६३ में नियुक्त किये गये आबकारी इंस्पेक्टरों की सूची

नाम	योग्यता
१	२
१—श्री भुवनचन्द्र शाह	इन्टर
२—श्री राजेन्द्रप्रसाद	बी० ए०
३—श्री श्रीकांत राय	एम० ए०
४—श्री अशोककुमार शर्मा	इन्टर
५—श्री अमरनाथ निगम	इन्टर
६—श्री कृष्णप्रतापसिंह	एम० ए०, एल-एल० बी०
७—श्री देवेन्द्र कुमार मोविल	एम० एस-सी०
८—श्री शम्भूनारायणसिंह	बी० एस-सी०
९—श्री शशि भूषण श्रीवास्तवा	बी ०एस-सी०
१०—श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तवा	बी० एस-सी०
११—श्री हरीशंकर नीम	बी० ए०
१२—श्री नारायणदास	बी० काम०

नोट नं० ११ तथा १२ अनुसूचित जाति के हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

परिषद् हो जाने के पश्चात् विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की तालिका

समाचार-पत्र का नाम	विज्ञापन का आशय	धनराशि
		रु०
१—नेशनल हेराल्ड, लखनऊ	वैद्य के स्थान की पूर्ति हेतु विज्ञापन	१५.३०
२—नवजीवन, लखनऊ	घाट संबंधी	१५.३०
३—वीरभारत, कानपुर	टेंडर नोटिस	३२.६०
४—विश्वमित्र, कानपुर	घाट संबंधी	४०.००
५—विश्वमित्र, कानपुर	टेंडर नोटिस	३७.५०
६—विश्वमित्र, कानपुर	वैद्य के स्थान की पूर्ति हेतु	१७.००
७—जागरण, कानपुर	वैद्य के स्थान की पूर्ति हेतु	१४.३०
८—विश्वमित्र, कानपुर	टेंडर नोटिस	२१६.३७
९—नेशनल हेराल्ड, लखनऊ	टेंडर नोटिस	२७०.३७
१०—पायनियर, लखनऊ	टेंडर नोटिस	२४२.८७
११—जागरण, कानपुर	टेंडर नोटिस	२२४.३७
१२—वीरभारत, कानपुर	टेंडर नोटिस	१४०.००
स्थानीय समाचार-पत्र		
१—नया संसार, उन्नाव	घाट संबंधी	१५.००
२—नया संसार, उन्नाव	टेंडर नोटिस	१५.००
३—उन्नाव वाणी, उन्नाव	टेंडर नोटिस	१५.००
४—जनहित, उन्नाव	घाट संबंधी	१८.००
५—जनहित, उन्नाव	टेंडर नोटिस	७५.००
६—नया संसार, उन्नाव	टेंडर नोटिस	९०.००
७—उन्नाव वाणी, उन्नाव	टेंडर नोटिस	८०.००
८—उन्नाव संदेश, उन्नाव	टेंडर नोटिस	७३.००
९—जनहित, उन्नाव	टेंडर नोटिस	११.००
१०—नया संसार, उन्नाव	टेंडर नोटिस	५०.००
११—उन्नाव संदेश, उन्नाव	टेंडर नोटिस	५०.००
१२—उन्नाव टाइम्स, उन्नाव	टेंडर नोटिस	१५.००
	योग ..	१,९७२.९८

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

क्रमांक	ब्लाक का नाम	योजनायें, जो प्राप्त हुई हैं	अनुमानित लागत विवरण (लाख रुपयों में)
१	मवई ..	ट्यूबवेल की कच्ची गूल ..	०.०३
		९ गांवों को ऊंचा करना ..	०.७२
		५० सिंचाई के पक्के कुओं का निर्माण ..	१.५०
		बोरिंग तथा रहट की फिटिंग आदि फत्तनपुर, खंडारा रोड १० मील ..	६.५०
		फत्तनपुर–चकिया रोड ४ मील ..	२.६०
		माहुल–पवई रोड ९ मील ..	५.८५
		योग ..	१७.२०
२	फूलपुर ..	फूलपुर-सिकरौर-मार्टिनगंज रोड ४–४मील ..	२.९३
		निजामाबाद-सजरपुर रोड १२ मील ..	७.८०
		निजामाबाद माहुल रोड ४–४ मील ..	२.९३
		बरदह-मार्टिन गंज-दीदारगंज-अम्बरी रोड १० मील ..	६.५०
		योग ..	२०.१६
३	अहरौला ..	११ गांवों को ऊंचा करना ..	०.८८
		ट्यूबवेल की कच्ची गूलें ..	०.०१
		४० सिंचाई के पक्के गूलों का निर्माण	१.२०
		बोरिंग तथा रहट की फिटिंग सहित निजामाबाद-माहुल रोड दुर्वासा होते हुये १/२ मील ..	०.३२
		पकारी से असियाली रोड २ मील ..	१.३०
		अहरौला से खुरासन रोड ५ मील ..	३.२५
		माना से सांसा रोड ३ मील ..	१.९५
		योग ..	८.९१
४	अतरौलिया ..	ट्यूबवेल की कच्ची गूल ..	०.११
		डिहुला एवं भानपुर गांवों में बंधी का निर्माण	०.१७
		सिकन्दरपुर नरियावां रोड ७ मील ..	४.५५
		योग ..	४.८३

अटल ज्ञान संस्थान

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

अनुसूची 'अ'

१—स्थायी त्रिदलीय समिति (जिसे आगे केवल समिति कहा जायगा) का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है:—

(१) उद्योग से संबंधित दोनों पक्षों के हितों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विनिमय के हेतु एक मंच प्रदान करना ताकि उन समस्याओं का, दोनों पक्षों को माला, हल निकल आवें।

(२) उद्योग में जिन स्थितियों में काम होता है उन स्थितियों के प्रति कर्मचारियों से व्यापक रुचि की तथा अधिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना।

(३) सामूहिक समझौतों को बढ़ावा देने और उनको प्रभावशाली ढंग से लागू करने के उपायों के लिये सामूहिक सौदाकर्त्ता को प्रोत्साहित करना।

(४) श्रम कानून, राजकीय आदेश तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों के कार्यान्वयन में सहायता पहुंचाना।

(५) भारतीय श्रम सम्मेलन की उप-समिति द्वारा स्वीकृत उद्योग में अनुशासन संहिता को लागू करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाना तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पक्षों के बीच हुए इसी प्रकार के समझौतों को लागू करना।

(६) साधारणतया पक्षों के बीच मतभेद तथा गलतफहमी को रोकने के लिये तरीके एवं उपाय निकालना।

(७) उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिकों एवं व्यवस्थापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये उपाय निकालना; और

(८) श्रमिकों के कल्याण तथा हित के उपायों को प्रारम्भ करना तथा बढ़ावा देना।

अनुसूची 'ब'

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर—अध्यक्ष

मालिकों की ओर से—

(१) श्री बी०बी० लाल, आई० सी० एस०, चेयरमैन, यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लखनऊ ।

(२) श्री उ०जी० एम० ट्वाइनिंग, चेयरमैन, एसोसिएशन आफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनीज, यू०पी० द्वारा मेसर्स मार्टिन बर्न लि०, १२ मिशन रोड, कलकत्ता ।

(३) श्री एम० एस० गोपाल राव, रेजीडेंट इंजीनियर, मेसर्स शाहजहांपुर, इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, शाहजहांपुर ।

(४) श्री एन० डी० भार्गव, सेठ रामगोपाल एन्ड पार्टनर्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स, एटा ।

श्रमिकों की ओर से—

(५) श्री अर्जुन अरोरा, एम० पी०, कैशल लाज (सिविल लाइन्स), कानपुर ।

(६) श्री एस० सी० दास, जनरल सेक्रेटरी, यू० जे० इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन, मेरठ सिटी ।

(७) श्री जे० सी० दीक्षित, द्वारा हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लेबर यूनियन, गोला गोकरननाथ (खीरी) ।

(८) श्री विमल मेहरोत्रा, जनरल सेक्रेटरी, हिन्द मजदूर सभा, यू० पी०, कानपुर ।

उक्त सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री एम० एन० चतुर्वेदी, वैकल्पिक सदस्य विज्ञप्त किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

जिला आजमगढ़

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	विवरण
१	अजमतगढ़	अजमतगढ़ अमिलिया रोड	२.००	द्वितीय चरण
२	बिलरियागंज	बिलरियागंज रौनापार रोड	१.६७	,,
३	परदहा	बोघा गोडवन खाजा रोड	२.००	,,
४	तहवरपुर	कैप्टेन गंज तहवरपुर रोड	२.५०	,,
५	हरैया	बिलरियागंज रौनापार रोड	३.८२	तृतीय चरण
६	दोहरीघाट	दोहरीघाट सूरजपुर रोड	३.९५	,,
७	बदरावं	अजमतगढ़ अमिलाखास रोड	४.४४	,,
८	महराजगंज	कैप्टेनगंज महाराजगंज रोड	१.६७	,,
		कैप्टेनगंज तहवरपुर रोड	२.४०	,,
		योग ..	२४.४५	

नत्थी 'ण

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

मार्टीनगंज विकास खंड, जिला आजमगढ़

परिशिष्ट "क"

क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति	पता	निर्माण कार्य	धनराशि जो दी गई	कार्य की प्रगति
				रु०	
१	श्री शंकरसिंह	ग्राम बुन्दा, पोस्ट सिकरौर।	कम्पोस्ट गड्ढे।	३०.००	ईट का कार्य हो चुका है। सीमेंट लगाना बाकी है।
२	श्री गोकरनसिंह	ग्राम बस्ती, कपूरी, पो० सुरहन।	,,	१००.००	अपूर्ण। सिर्फ सीमेंट का काम बाकी है।
३	श्री बेकारु यादव	ग्राम कुरियावा, पोस्ट सिकरौर।	,,	१२५.००	पूर्ण
४	श्री रामाशंकर	,,	,,	१००.००	,,
५	श्री रघुनन्दन यादव	,,	,,	२५.००	,,
६	श्री शम्भूनाथ	ग्राम कमालपुर, पो० भादों।	पोल्ट्रीफार्म	२००.००	अपूर्ण। केवल तार लगाना बाकी है।
७	श्री रियाज अहमद	ग्राम डेमरी मकदूम-पुर, पो० सिकरौर।	,,	२००.००	पूर्ण
८	श्री उमरावसिंह	प्रधान, निकासीपुर	अध्यापक आवास	१०००.००	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, प्रधान को नोटिस दी गई है।
९	श्री नरसिंह नारायण	प्रधान, सिकरौर पो० सिकरौर।	,,	१०००.००	,, ,,
१०	श्री रामशरणसिंह	प्रधान, दशमटा	सामुदायिक मिलन केंद्र	१०००.००	अपूर्ण। प्रधान को नोटिस दी गई है।
११	श्री हाफिज अब्दुल हमीद।	प्रधान, छितेपुर	,,	१०००.००	,, ,,
१२	श्री रामदुलार पाठक।	प्रधाम, घंगवल	,,	१०००.००	,, ,,
१३	श्री भुलई खटिक	ग्राम भाटिमपारा, पो० सुकरौर।	कूप निर्माण	५००.००	पूर्ण
१४	श्री वंशीराम	ग्राम सूभरपुर, पो० फुलेश।	,,	५००.००	अपूर्ण। जगत का कार्य बाकी है। नोटिस दी गई है।
१५	श्री लौटूराम	ग्राम कुम्भ, पोस्ट लसड़ा।	,,	५००.००	कार्य शुरू नहीं हुआ है नोटिस दे दी गई है।
१६	श्री बैजनाथ हरिजन	ग्राम भादों, पो० सुहौली।	,,	५००.००	अपूर्ण। नोटिस दे दी गई है।
१७	श्री बनारसीराम	ग्राम व पोस्ट, सिकरौर।	गृह निर्माण	२५०.००	अपूर्ण। नोटिस दे दी गई है।
			योग ..	८,०३०.००	

विकास क्षेत्र फतेहपुर, जिला आजमगढ़

परिशिष्ट "ख"

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति	ग्राम का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत धन	धन जो दिया गया	कार्य की स्थिति
				रु०	रु०	
१	श्री खुरशेद अहमद	फतेहपुर मंडाव	पंचायत घर	१०००.००	५००.००	१०–१५ दिन में कार्य पूर्ण हो जायगा।
२	,, स्वामीनाथ	बांसडीह	,,	१०००.००	५००.००	,,
३	,, चन्द्रभानसिंह	परसूपुर	,,	१०००.००	..	कार्य प्रारम्भ नहीं है।
४	,, रामराज	भोरपुर दरियाबाद	,,	१०००.००	..	ईंट खरीद लिया है।
५	,, केदारनाथ पांडे	मधुबन	पुस्तकालय एवं	१०००.००	..	कार्य प्रारम्भ नहीं है।
६	,, राजजनसिंह	गोपालपुर एनेवादा	पंचायत घर	१०००.००	१०००.००	कार्य पूर्ण हो गया है।
७	,, विजयदत्त त्रिपाठी	मसमेलपुर	शिक्षा का गृह	१०००.००	५००.००	कार्य हाल में पूर्ण हो जायगा।
८	,, सेवक	मिसरौली	कूप निर्माण	५००.००	५००.००	कार्य पूर्ण हो गया है।
९	,, तपेश्वर	नितूपुर	,,	५००.००	५००.००	,,
१०	,, शिशुपाल	हरिगांव	,,	५००.००	३००.००	कार्य अभी पूर्ण नहीं है।
११	,, शंकर	उकरौली	हाउस साइट	२५०.००	२५०.००	कार्य पूर्ण हो गया है।
१२	श्रीमती छंगूरदेवी	बदनपुर	गृह उद्योग	३००.००	३००.००	,, ,,
१३	श्री पुरालाल	हरिगांव	कृषि निस्तार बैल	१२०.००	१२०.००	,, ,,
१४	,, शिवदत्त	बामरौली	,,	१२०.००	१२०.००	,, ,,
१५	,, महादेव	परदहा	,,	१२०.००		कार्य पूर्ण। अभी भुगतान नहीं हुआ है।
१६	,, जगन्नाथ	बाउन्ड्री	हाउस साइट	२५०.००		कार्य पूरा नहीं हुआ है।
१७	,, राम शरीसा विश्वकर्मा	मधुवन	वर्कशेड	३५०.००	३५०.००	कार्य पूर्ण हो गया है।
१८	,, राजदेव विश्वकर्मा	पांतो		३५०.००	३५०.००	,, ,,
			योग ..	१०,३६०.००	५,२९०.००	

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर)

क्रम-संख्या	नाम विकास खंड	सहायक विकास अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी सिक्योरिटी का धन जो अवशेष है	प्रति माह सिक्योरिटी का धन जमा होता है या नहीं	यदि प्रति माह सेक्योरिटी का धन नहीं जमा होता तो उस का कारण
१	२	३	४	५	६
			रु०		
१—घाटमपुर		हरवंश चतुर्वेदी	१२३३.८४	हां	कार्य पूर्ण हो गया है।
		श्रीमती मालती पांडेय	१०२७.६५	हां	,, ,,
		अतरसिंह चौहान	१९६१.९७	नहीं	विकास क्षेत्र, मालासा से अभी तक पास बुक न प्राप्त होने के कारण।
		प्यारेलाल निम्न	१०१२.००	नहीं	विकास क्षेत्र, डेरापुर से पास बुक न प्राप्त होने के कारण।
२—भीतरगांव		प्रेम नारायण दुबे	७७१.५६	हां	,, ,,
		रमेशचन्द्र खरे	१९२५.००	हां	,, ,,
३—पतारा		शिवनन्दनलाल दीक्षित	११५६.००	हां	,, ,,
		सेवाराम	१७४५.००	हां	,, ,,
		श्रीमती शांति पांडे	५००.००	हां	,, ,,
४—अकबरपुर		लक्ष्मी नारायण शर्मा	२३०.००	हां	,, ,,
		रामबाबू कटियार	९२०.००	हां	,, ,,
		एल० अली० रजा	८७०.००	हां	,, ,,
		एन०ए० किदवई	९८६.००	हां	,, ,,
		श्रीमती अन्नपूर्णा साही	३८०.००	हां	,, ,,
५—सरवनखेड़ा		राम चरन संखवाल	१६८८.००	हां	,, ,,
		गोविन्दमाधव त्रिपाठी	१२५९.१३	हां	,, ,,
६—मैया		रूपनारायण द्विवेदी	१४५०.००	हां	,, ,,
		साहबसिंह	२००.००	नहीं	विकास क्षेत्र, बिल्हौर से अभी तक पास बुक न प्राप्त होने के कारण।
		राजबहादुर उपाध्याय	१२९०.००	नहीं	विकास क्षेत्र, कल्यानपुर से पास बुक न प्राप्त होने के कारण।
७—कल्यानपुर		दबेदार शर्मा	१९७६.००	हां	,, ,,
		राजकुमार जैन	८९६.००	हां	,, ,,
		चन्द्रमोहन बाजपेयी	८२९.००	हां	,, ,,
		श्रीमती इन्द्रमोहनी तलवार	९७६.००	हां	,, ,,

विधान सभा

१	२	३	४	५	६
			रु०		
	८–सरसौल	श्याममनोहर दुबे	१११८–८८	हां	विकास क्षेत्र, कल्यानपुर से पास बुक न प्राप्त होने के कारण
	९–राजपूर	जफर अली सिद्दीकी	१६७.४६	हां	,, ,,
	१०–मलासा	हंसराज जायसवाल	१३१७.००	नहीं	पोस्ट आफिस द्वारा पासबुक खो गई है। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।
		सर्वश्री			
		रामेश्वर दयाल दोहरे	१०५०.००	हां	,, ,,
		प्रमोद कुमार मिश्र	१०५०.००	हां	,, ,,
	११–अमरौधा	कैलाशनाथ सिंह	१०००.००	हां	,, ,,
		श्रीमती उर्मिला वर्मा	१५०.००	नहीं	जिला फतेहपुर से अभी पासबुक न प्राप्त होने के कारण।
	१२–ककवन	पी०आर०मिश्र	६८८.००	हां	,, ,,
	१३–चौबेपुर	जमुनाप्रसाद गुप्त	१०००.००	हां	,, ,,
		हृदयकुमार कटियार	७००.००	हां	,, ,,
	१४–शिवराजपुर	कातवाह मिश्र	२०००.००	हां	,, ,,
		प्रकाशचन्द्र गुप्त	..	नहीं	जिला फतेहपुर में अभी तक पास बुक न प्राप्त होने के कारण।
		नरेंद्रकुमार सिन्हा	१०००.००	हां	,, ,,
		सत्रोहन लाल मिश्र	७२५.००	हां	,, ,,
	१५–डेरापुर	शिवकंठ बाजपेयी	१२५४.००	नहीं	जिला रायबरेली से अभी तक पास बुक न प्राप्त होने के कारण।
		भारत अवतार दीक्षित	..	नहीं	जिला रायबरेली से अभी तक पासबुक न प्राप्त होने के कारण।
	१६–खन्देलपुर	मुरलीधर मिश्र	..	नहीं	जिला बांदा से अभी तक पासबुक न प्राप्त होने के कारण।
		ओमस्वरन गुप्त	१९७६.००	हां	,, ,,
		मदन लाल दुबे	७५०.००	हां	,, ,,
	१७–रसूलाबाद	सत्यप्रकाश शर्मा	५७२.००	हां	,, ,,
		मनवीरसिंह चौहान	..	नहीं	विकास क्षेत्र ककवन से पासबुक न प्राप्त होने के कारण।
		एस० एस० राठौर	६७०.००	हां	,, ,,
		कुमारी एस० किदवई	६५.००	हां	,, ,,

रामसूर्ति,
विकास मंत्री।

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

वर्ष	भर्ती हुये मरीजों की संख्या।	अच्छे हुये मरीजों की संख्या।	रिलीव्ड हुये मरीजों की संख्या।	डिस्चार्ज हुये या अन्य कारणों से अस्पताल छोड़ कर जानेवाले मरीजों की संख्या	जो मरीज मर गये उनकी संख्या।
१९६१ ..	४,९७१	१,९६०	२,४७८	२५१	२८२
१९६२ ..	५,९३८	१,९०८	२,९६१	७३०	३३९
१९६३ (८ अक्तूबर) तक	४,५४४	१,८४१	१,८७९	५६६	२५८
योग ..	१५,४५३	५,७०९	७,३१८	१,५४७	८७९

टिप्पणी—रिलीव्ड हुये मरीजों से उन मरीजों का तात्पर्य है जिनकी तात्कालिक तकलीफ तो दूर हो गई। परन्तु जो रोग से सम्पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुये।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'थ–१'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३३ पर)

(१) एलोपैथिक चिकित्सालय

चिकित्सालयों के नाम	स्वीकृत औषधियों का मूल्य		औषधियों पर अतिरिक्त व्यय	
	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६१–६२	१९६२–६३
	रु०	रु०	रु०	रु०
१—टी० बी० आइसोलेशन अस्पताल, कानपुर ।	१०,०००.००	१०,०००,००	..	
२—लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर ।	७६,४००.००	३,६६,७९५.००	..	..
३—अपर इंडिया शुगर एक्सचेंज लि० मेटरनिटी चिकित्सालय, कानपुर ।	१५,०००.००	१६,२४७.००	..	..
४—दीननाथ पार्वती बागला आई० डी० अस्पताल, व टी० बी० विंग, कानपुर ।	१९,५००.००	१७,०००.००	.	..
५—जे० के० कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ।	५,०००.००	१०,०००.००	..	
६—ए० एच० एम० अस्पताल, कानपुर ।	३९,९४२.००	४०,४८६.००	..	..
७—यू० एच० एम० अस्पताल, कानपुर ।	१७५,२६०.००	१,६०,७५०.००	..	..
८—कमलापति अस्पताल, कानपुर ।	२५,५००.००	२५,५००.००	..	..
९—गवर्नमेंट टी० बी० क्लीनिक, कानपुर ।	१५,०००.००	१४,०००.००	..	..
१०—रूरा मेल चिकित्सालय, कानपुर ।	२,५००.००	२,५००.००	..	..
११—रूरा फिमेल चिकित्सालय, कानपुर ।	२,५००.००	२,५००.००	..	..
१२—कठारा चिकित्सालय,	३,१००.००	२,५००.००	..	..
१३—कृष्णानगर चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
१४—हुंन्डवा जमौली चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
१५—शिवली चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
१६—बरौर चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
१७—बेरीपाल चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
१८—झिंझक चिकित्सालय	२,५००.००	३,५००.००	..	..

१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	रु०
१९–गजनेर चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
२०–अपरौधा चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
२१–कल्यानपुर चिकित्सालय	२,५००.००	२,५००.००	..	..
२२–चौबेपुर चिकित्सालय	३,०००.००	३,०००.००	..	..
२३–भीतरगांव चिकित्सालय	३,०००.००	३,०००.००	..	..
२४–ककवान चिकित्सालय	२,५०० ००	२,५००.००	..	..
२५–रसूलाबाद चिकित्सालय	२.५००.००	२,५००.००	..	..
(२) ई० एस० आई० चिकित्सालय				
२६–दरशनपुरवा चिकित्सालय	१९,८४८.००	२३,२११.००	..	..
२७–अशोकनगर चिकित्सालय	२९,८००.००	२८,४४०.००	..	..
२८–अस्सीफीट रोड चिकित्सालय	४८,१६०.००	३७,६११.००	..	..
२९–कोशलपुरी चिकित्सालय	२९,०००.००	२१,०६९.००	..	..
३०–आचार्यनगर चिकित्सालय	४९,६९६.००	३६,६५७.००	..	..
३१–जूही चिकित्सालय	६३,०००.००	४६,६५६.००	..	..
३२–बाबूपुरवा चिकित्सालय	२९,०००.००	२५,५८७.००	..	..
३३–चमनगंज चिकित्सालय	३४,९४४.००	२९,३०४.००	..	..
३४–हुमाऊंबाग चिकित्सालय	३२,२४०.००	२७,२७०.००	..	..
३५–नालारोड चिकित्सालय	४२,५५०.००	३६,११७.००	..	..
३६–ग्वालटोली चिकित्सालय	३५,६२५.००	३०,०९६.००	..	..
३७–खलासी लाइन चिकित्सालय	४६,६००.००	३७,१८८.००	..	..
३८–सूटरगंज चिकित्सालय	४६,७२८.००	३७,४२२.००	..	..
३९–रामबाग चिकित्सालय	५९,१५२.००	४३,०२०.००	..	..
४०–रानीगंज चिकित्सालय	२४,२८८.००	१८,२७९.००	..	..
४१–डिप्टी का पड़ाव एवं रामपुरवा चिकित्सालय	७१,६००.००	५३,१३६.००	..	..
४२–पटकापुर चिकित्सालय	३३,४९६.००	२४,४५३.००	..	..
४३–लाटूश रोड १ व २ चिकित्सालय ।	४९,८०८.००	३७,४७६.००	..	..
४४–रेलबाजार चिकित्सालय	५६,६००.००	४१,८५०.००	..	..
४५–नवाबगंज चिकित्सालय	३२,८३२.००	२३,२०२.००	..	..
४६–मीरपुर चिकित्सालय	३६,०४०.००	३३,२७३.००	..	..
४७–जाजमऊ चिकित्सालय	४८,४००.००	३५,५५०.००	..	..
४८–गोविन्दनगर चिकित्सालय	३०,२६४.००	२२,७७०.००	..	..
४९–शास्त्रीनगर चिकित्सालय	२८,०००.००	२४,०७५.००	..	..
५०–मोवाइल यूनिट ए० चिकित्सालय	१०,०००.००	१३,६४४.००	..	..
५१–मोवाइल यूनिट (बी) चिकित्सालय	१०,०००.००	१३,६४४.००	..	..
५२–ई० एस० आई० अस्पताल, पान्डु नगर ।	७०,०००.००	१,००,०००.००	..	..

१	२	३	४	५
(३) आयुर्वेदिक चिकित्सालय				
	रु०	रु०	रु०	
५३—रामनगर चिकित्सालय	६३३.७०	६१७.४७	२३.७५	२९.०
५४—रनिया चिकित्सालय	३७७.२८	४३३.६८	..	२५.८४
५५—सरवनखेरा चिकित्सालय	४८५.७८	४४९.१०	३९.०३	..
५६—गौरीभगवन्तपुर चिकित्सालय	६८१.२६	५३७.३४	३५.७३	२८.६०
५७—मूसानगर चिकित्सालय	६४९.७३	७१७.५०	४६.८०	३०.००
५८—बड़ागांव चिकित्सालय	३६०.०७	३६६.९५	५.४१	१५.४७
५९—उत्तरांपुरा चिकित्सालय	९४६.०९	९२२.५४	८.५०	३०.००
६०—परास चिकित्सालय	५५८.२०	४४७.०९	८.२१	..
६१—मंगलपुर चिकित्सालय	..	५९७.७५	..	..
(४) यूनानी चिकित्सालय				
६२—बारा चिकित्सालय	२३९.११	३६२.०४	३.०६	११.३८
६३—दूल चिकित्सालय	३३९.०१	५६२.५४	..	..
(५) होमियोपैथिक चिकित्सालय				
६४—मझावन चिकित्सालय	२२६.६५	२८२.८४	..	..

यह चिकित्सालय १९६२—६३ में स्थापित किया गया ।

दाऊदयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मंत्री ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

क्र० सं०	जच्चा बच्चा केन्द्रों के नाम	मिडवाइफ	दाई	चौकीदार
१	कल्यानपुर	१	१	१
२	विठूर	१	१	१
३	पनकी	१	१	१
४	मधना	१	१	१
५	नारामऊ	१	१	१
६	ईश्वरीगंज	१	—	..
७	घाटमपुर	१	१	..
८	धरमैगदपुर	१	..	..
९	वरीपाल	१	..	..
१०	रेवना	..	१	..
११	पारस	१	..	..
१२	अकबरपुर	१	१	१
१३	पुखराया	१	१	१
१४	अमरौधा	१	..	..
१५	सट्टी	१	..	..
१६	गोसगंज	१	..	..
१७	मौसानगर	१	..	..
१८	बिल्हौर	१	१	१
१९	चौबेपुर	१	१	..
२०	बेंसठी	—	१	..
२१	गबराहा	—	१	..
२२	ककवान	१	१	१
२३	भीतरगड़	१	१	..
२४	बरईगढ़	—	१	..
२५	नौरंगा	१	—	..
२६	झांझक	१	१	१

मिडवाइफ और दाइयों के काम की देख रेख जिला और विकास खंड के हेल्थ विजिटर द्वारा होती है। उनका संरक्षण चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा होता है। जिला स्तर पर इन केन्द्रों का संचालन जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होता है।

दाऊदयाल खन्ना,
स्वास्थ्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३७ पर)

विकास खण्ड, खजुहा, जनपद फतेहपुर में चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये गये कृषि यंत्रों की तालिका

क्रमांक	नाम कृषि यंत्र		संख्या	दर	मूल्य
				रु०	रु०
१	आर०एम० कल्टीवेटर (स्पेशल सेट)	..	१०	११०.००	१,१००.००
२	सिंह हवील हैन्ड हो	..	९	३०.००	२७०.००
३	स्पाइक टूथ हैरों	..	१०	११०.००	१,१००.००
४	जूनियर केयर प्लाउ बीम सहित	..	९	४०.५०	३६४.५०
५	आल्पाइ प्रेशर	..	२	३१५.००	६३०.००
६	साइकिल विनोवर दूहरी चैन व सीट	..	१०	२२०.००	२,२००.००
७	सिंह पैडेला	..	२	६०.००	१२०.००
	कुल योग	..	५२		५,७८४.५०

विधान सभा फतेहपुर

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर)

एक्साइज कमेटी, बस्ती के मेम्बरों की नामावली की सूची

१—श्री राय जयनरायन श्रीवास्तव
२—श्री शिव हरष उपाध्याय
३—श्री मकबूल अहमद
४—श्री दयाशंकर पान्डेय
५—सहायक आबकारी कमिश्नर, गोरखपुर
६—जिला आबकारी अधिकारी
७—श्री रनबहादुर सिंह, एम० एल० ए०
८—श्री राम लखन सिंह ,, ,,
९—श्रीमती शकुन्तला नायर ,, ,,
१०—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी देवी ,, ,,
११—श्री मती गेन्दा देवी ,, ,,
१२—श्री काजी जलील अब्बासी ,, ,,
१३—श्री भानुप्रताप सिंह ,, ,,
१४—श्री रामकुमार शास्त्री ,, ,,
१५—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी ,, ,,
१६—श्री चन्द्रपाल ,, ,,
१७—श्री जगदीशप्रसाद पान्डेय ,, ,,
१८—श्री तमेश्वरप्रसाद ,, ,,
१९—श्री सोहनलाल घुसिया ,, ,,
२०—श्री श्यामलाल ,, ,,
२१—श्री काशीनाथ बहादुरपाल ,, ,,

संसद विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६०–६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

परिशिष्ट 'क'

द्वितीय चरण (जिला वाराणसी)

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू० में)	
१	धानपुर	१—नदी नदौरा ट्रेन	०.३८५	काम चालू है
		२—प्रहलादपुर माइनर	०.२५	,,
		३—इकबालपुर माइनर	०.१६	,,
		४—धानपुर चहेनियां रोड (७मील)	१.१०	,,
		५—इलाही माइनर	०.१२	,,
		योग ..	२.०१५	
२	सकलडीहा	१—दयालपुर माइनर	०.२६५	,,
		२—धामिना माइनर	०.१०	,,
		३—गरसरी माइनर का विस्तार	०.२०	,,
		४—कइथा माइनर	०.१२	,,
		५—सकलडीहा अलीनगर रोड (३, ४ मील)	१.२५	,,
		योग ..	२.०३५	
३	चहेनियां	१—वल्वापुर डिस्ट्रीब्यूटरी	१.२०	,,
		२—धानपुर चहेनिया रोड (७ मील)	०.९०	,,
		योग ..	२.१०	
४	साबरांज	१—गोविन्दपुर डिस्ट्रिब्यूटरी	०.१२	,,
		२—मिटिया माइनर	०.१३२	,,
		३—हरियापुर माइनर	०.३१	,,
		४—गरसारोपुर माइनर	०.३१	,,
		५—लहरपुर डिस्ट्रिब्यूटरी	०.४९५	,,
		६—लाटाओन माइनर	०.१०	,,
		७—मउडिहा माइनर	०.१३	,,
		८—गोविन्दपुर डिस्ट्रिब्यूटरी	०.३८५	,,
		९—मलदा माइनर	०.०९	,,
		१०—मुसाखंड कैनाल	०.९०	,,
		योग ..	२.९७२	

तृतीय चरण (जिला वाराणसी)

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	
१	निग्रामताबाद	१—निर्माणगोरीताल ड्रेन १–३ ..	०.८६	काम आरम्भ हो गया।
		२—निर्माण सकलडीहा अलीनगर कंकर रोड ३ मील । ..	१.९४	"
		योग ..	२.८०	
२	चन्दौली	१—चंदौली कैनाल की सर्विस रोड ..	२.२५	
		२—निर्माण जसनी माइनर १ मील ३ फ०	०.१०	
		३—निर्माण कोलाही माइनर १ मील १ फ०	०.१०	कार्य आरम्भ हो गया।
		४—निर्माण खारिद माइनर ३ मील १ फ०	०.२८	
		५—जगदीशपुर माइनर ५ फ० का विस्तार	०.०४	
		६—निर्माण बहादुरा माइनर १ मील ३ फ०	०.१६	
		७—निर्माण विशुनपुर माइनर ३ मील १	०.३३	
		८—निर्माण चचला माइनर १ मील ७फ०	०.१८	
		९—निर्माण सिकन्दरपुर माइनर ३ मील २ फ मील २ फर्लांग ।	०.२४	कार्य आरम्भ हो गया।
		योग ..	३.६८	
३	ग्यानपुर	१—निर्माण ग्यानपुर दुर्गागंज कंकर रोड ८ मील । ..	४.५०	कार्य आरम्भ हो गया।
		योग ..	४.५०	
४	सुरियावां	१—निर्माण गायपुर दुर्गागंज कंकर रोड ८ मील ।	४.५०	कार्य आरम्भ हो गया।
		योग ..	४.५०	